कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 13 | जुलाई 1–15, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–12

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 46 साल :

जब हिन्दोस्तानी गणराज्य का बदसूरत चेहरा सामने आया

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 46वीं बरसी के अवसर पर दिल्ली में एक सभा आयोजित की। पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह ने आपातकाल की अवधि और उस समय से लेकर अब तक हुयी राजनीतिक गतिविधियों से मिलने वाले सबकों पर एक जोशीली चर्चा शुरू की। उनकी प्रस्तुति का सम्पादित रूप यहां प्रकाशित किया जा रहा है।

आज से 46 साल पहले, 25–26 जून, 1975 की आधी रात को, तत्कालीन राष्ट्रपति फख़रुद्दीन अली अहमद ने संविधान की धारा 352 के तहत, "राष्ट्रीय आपातकाल" के घोषणा की थी। वह फ़ैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सलाह करके लिया गया था। सरकार ने आपातकाल लागू करने का यह कारण दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा पहुंचाने वाली अंदरूनी गड़बड़ियां फैल रही थीं।

एक झटके में ही लोगों को उन सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जो संविधान में लिखे हुए हैं। मज़दूरों की हड़तालों पर रोक लगाई गयी। ट्रेड यूनियन नेताओं और छात्र कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया गया। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में झुग्गी वासियों को बलपूर्वक अपने घरों से निकला गया और उनके घरों को जलाकर राख कर दिया गया। "जनसंख्या नियंत्रण" के नाम पर, लाखों–लाखों मज़दूरों, किसानों और नौजवानों की बलपूर्वक नसबंदी कराई गई।

लोगों को बोलने और सभा करने के अधिकार से वंचित किया गया। अख़बारों पर सेंसरशिप लागू की गयी। सरकार की हर प्रकार की आलोचना पर रोक लगा दी गयी। गुजरात और तामिलनाडु में विपक्ष की पार्टियों की राज्य सरकारों को निलंबित किया गया। संविधान में संशोधन करके, संसद के कार्यकाल को बढ़ाया गया और चुनावों को स्थगित किया गया।

आपातकाल को लागू करने का फ़ैसला किसने लिया था? उसका मुख्य मक़सद क्या था? इन सवालों के असली जवाबों को छिपाने के लिए बहुत सारी गलत धारणाएं फैलाई गयी हैं। आज तक पूंजीपतियों के राजनीतिक विशेषज्ञ यह प्रचार करते हैं कि इंदिरा गांधी ने यह फ़ैसला लिया था। वे कहते हैं कि ऐसा करने में उनका राजनीतिक मक़सद था अपनी राजनीतिक तरक्की को बनाये रखना, जो अदालतों के फ़ैसलों के कारण ख़तरे में थी।

साथियों, हम जानते हैं कि आपातकाल की घोषणा जैसा मुख्य फ़ैसला किसी एक व्यक्ति के हितों के लिए नहीं लिया जाता है। ऐसे फ़ैसले सत्ताधारी वर्ग द्वारा, अपने हितों के लिए, लिए जाते हैं।

वह ऐसा समय था जब साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, लोक जनवाद (पीपल्स डेमोक्रेसी) और समाजवाद के लिए क्रान्तिकारी संघर्ष दुनियाभर में फैल रहे थे। हिन्दोस्तान के अन्दर हालतें क्रांति के लिए परिपक्व थीं। लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर रहे थे।

26 जून,1975 को हिन्दोस्तान के हुक्मरानों ने आपातकाल की घोषणा करने का फ़ैसला क्यों लिया था? इसका कारण समझने के लिए हमें उस समय के हालातों पर ध्यान देना होगा।

वह ऐसा समय था जब साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, लोक जनवाद (पीपल्स डेमोक्रेसी) और समाजवाद के लिए क्रान्तिकारी संघर्ष दुनियाभर में फैल रहे थे। अति–शक्तिमान अमरीकी सेना के ख़िलाफ़ वियतनामी लोगों के लम्बे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की 1975 में जीत हुयी।

हिन्दोस्तान के अन्दर हालतें क्रांति के लिए परिपक्व थीं। लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर रहे थे। पूंजीवाद के विकास के साथ–साथ, पिछड़े सामंती और जातिवादी संबंधों के बरकरार रखे जाने की वजह से मज़दूरों और किसानों का शोषण–दमन बहुत तीव्र हो गया था।

मार्च 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले के एक गांव, नक्सलबाड़ी में कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने बड़े ज़मींदारों के ख़िलाफ़, लगभग 50,000 ग़रीब और भूमिहीन किसानों के जन–विद्रोह को अगुवाई दी। चारू मजूमदार और उनके कामरेडों की अगुवाई में उस कम्युनिस्ट दल ने सभी कम्युनिस्टों से आह्वान किया कि समाजवाद के लिए संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा करने की लाइन से पूरी तरह नाता तोड़ दें। इसके साथ, कम्युनिस्ट आन्दोलन में एक नयी धारा, जागृति की एक नयी लहर शुरू हुयी। इसी लहर में आगे चलकर, 1969 में भारतीय

शेष पृष्ठ 5 पर

स्टील कर्मचारी हड़ताल पर

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एस.ए.आई.एल., सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के 1,50,000 से अधिक मज़दूरों ने 29 जून को हड़ताल की।

सेल दुनिया की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनियों में से एक है, जिसमें राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो और बरनपुर में पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं, सेलम, दुर्गापुर और भद्रावती में तीन विशेष संयंत्र हैं, चंद्रपुर में एक फेरो मिश्र धातु संयंत्र और लगभग 20 कोयले और खनिज लोहे की खदानें हैं। आर.आई.एन.एल. का विशाखापट्टनम में एक प्रमुख इस्पात संयंत्र है।

वेतन और अन्य मुद्दों पर प्रबंधन के साथ बातचीत में विफलता के जवाब में हड़ताल का आह्वान किया गया था। सेल प्रबंधन और पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बनाई गई स्टील पर राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एन.जे.सी.एस.) द्वारा आम तौर पर हर पांच साल में एक सामूहिक समझौते को संशोधित किया जाता है। दिसंबर 2017 से वेतन संशोधन लंबित है।

ट्रेड यूनियनें 22 जून से छह दिनों से अधिक समय से प्रबंधन के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही थीं। वार्ता तब रुकी जब सेल प्रबंधन ने मज़दूरों की वेतन संशोधन की मांग को ख़ारिज़ कर दिया।

देशभर में हड़ताल का आह्वान करने के रूप में 28 जून को सभी मज़दूरों ने काले बैज (बिल्ले) पहने थे। उन्होंने 29 जून को प्रदर्शन किया और 30 जून को हड़ताल पर चले गए।

उनकी मांगों में शामिल हैं :

- स्थायी और ठेका मज़दूर दोनों के वेतन में वृद्धि
- पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान को बढ़ाना
- कोविड से मरने वाले कार्यकर्ता के परिवार के सदस्य को कोविड मुआवज़ा और रोज़गार
- भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों में कामगारों का निलंबन वापस
- सेल और आर.आई.एन.एल. का निजीकरण रोकना

मज़दूरों ने लंबे समय से लंबित वेतन संशोधन पर उनकी जायज़ मांगों को पूरा न करने के लिए प्रबंधन की निंदा की है। उन्होंने बताया कि मज़दूरों ने महामारी के दौरान काम करना जारी रखा है और कंपनी का काफी मुनाफ़ा हुआ है।

इस बीच, विशाखापट्टनम में आर.आई.एन.एल. के मज़दूर केंद्र के निजीकरण के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 135 दिनों से अधिक समय से कुरमान्नापलेम में स्टील प्लांट आर्च पर रिले भूख हड़ताल कर रहे हैं। 29 जून, 2021 को एक दिवसीय हड़ताल की गई।

दिनभर की हड़ताल के तहत मज़दूरों ने काम का बहिष्कार किया और आर.आई.एन.एल.–वी.एस.पी. के मुख्य द्वार पर धरना दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर केंद्र ने संयंत्र के निजीकरण पर अपने फ़ैसले में बदलाव नहीं किया तो वे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। http://hindi.cgpi.org/21060

अंदर पढ़ें

- लेनिन की 151वीं जयंती पर 2
- आर.आई.एन.एल. के निजीकरण का विरोध करें 7
- रेलवे निजीकरण – अंतर्राष्ट्रीय अनुभव 8
- बेरोज़गारी – पूंजीवाद का हमसफर 11

लेनिन की 151वीं जयंती के अवसर पर :

आईये हम मज़दूर वर्ग को किसानों के साथ गठबंधन में शासक वर्ग बनने के लिए संगठित करने का संकल्प लें!

इस साल 22 अप्रैल को, हम व्लादिमीर इल्यिच लेनिन की 151वीं जयंती मना रहे हैं। लेनिन, 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी हस्तियों में से एक थे। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति ने इस अवसर पर, लेनिन और लेनिनवाद पर निबंधों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने का फ़ैसला लिया है। इस श्रृंखला का पहला लेख प्रस्तुत है :

लेनिन और अक्तूबर क्रांति

लेनिन का जन्म रूस के सिमबर्स्क में एक सुशिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। बहुत कम उम्र से ही लेनिन में सीखने के लिए, एक अनोखी चाह दिखती थी। उन्होंने कानून के छात्र के रूप में कज़ान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने जल्द ही, मार्क्सवादी अध्ययन समूहों में भाग लेना शुरू कर दिया और उस समय के क्रांतिकारी छात्र आंदोलन में शामिल हो गए।

मार्क्स और एंगेल्स ने पूंजीवादी समाज के विकास के नियमों की खोज की थी। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया था कि पूंजीवादी समाज का विकास और उसके भीतर चल रहे वर्ग संघर्ष का अवश्यम्भावी परिणाम है, पूंजीपति वर्ग की हार और श्रमजीवी वर्ग की जीत। इस वर्ग संघर्ष का अवश्यम्भावी परिणाम है श्रमजीवी वर्ग की हुक्मशाही, जो वर्ग सत्ता का अंतिम रूप होगा जिसका लक्ष्य एक वर्गहीन कम्युनिस्ट समाज स्थापित करना होगा और जिसका शुरुआती चरण समाजवाद से होगा। अपने ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए, श्रमजीवी वर्ग को एक हिरावल पार्टी की आवश्यकता होती है जो संघर्ष को नेतृत्व देगी।

उस समय क्रांतिकारी युवाओं के बीच में, नारोदनिक नामक एक समूह प्रभावशाली था। जिन्होंने इस विचार को फैलाया था कि क्रांति को सफल बनाने में मुख्य भूमिका किसानों की होगी न कि श्रमजीवी वर्ग की। वे अमीर किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें कुलक कहा जाता था। नारोदनिकों में से कुछ ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि समाज के विकास में कुछ व्यक्तिगत 'नायकों', उनके विचारों और साहसी कार्यों की अहम भूमिका होती है। उनके अनुसार, क्रांति में आम लोगों की भूमिका न के बराबर होती है। उन्होंने सत्तारूढ़ शासक वर्ग के व्यक्तिगत सदस्यों की हत्या करने के षड्यंत्रों का भी आयोजन किया था – जिनमें उस समय का रूसी सम्राट, जिसको ज़ार के नाम से जाना जाता था, वह भी शामिल था।

लेनिन ने मार्क्सवाद के मूल निष्कर्ष की हिफ़ाज़त की और उसका विस्तार किया कि, यह वर्गों के बीच संघर्ष है, जो समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाता है न कि कुछ व्यक्तिगत नायकों की कार्रवाइयां। श्रमजीवी वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं और उसे अपनी श्रम शक्ति को बेचकर ही गुजारा करना पड़ता है, यही वह वर्ग है जो इस काल में समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन को अंजाम दे सकता है। यही वह वर्ग है जो दिन पर दिन बढ़ रहा है और जिसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में, किसान बिखरने के लिए बाध्य हैं। किसानों में से कुछेक पूंजीपति वर्ग में शामिल हो जायेंगे और बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग का हिस्सा बन जायेंगे।

लेनिन ने व्यक्तिगत आतंकवाद के रास्ते और इस धारणा का विरोध किया कि कुछेक नायक, समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वर्ग–विभाजित समाज में यदि कोई व्यक्ति, वह चाहे कितना भी बड़ा और प्रतिष्ठित हो, यदि उसके विचार और उसकी इच्छा, उस समय के क्रांतिकारी वर्ग, जो कि क्रांति को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, उसकी ज़रूरतों और समाज में आने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरतों के ख़िलाफ़ होते हैं तो उसका दर–किनार होना निश्चित है। इसका विपरीत भी सही है कि वे सभी व्यक्ति, जो अपने विचारों और इच्छाओं द्वारा उस समय के समाज में आने वाले बदलाव और उस समय के अगुआ वर्ग की आवश्यकताओं को सही ढंग से व्यक्त करते हैं, तो वे समाज में अग्रणी भूमिका अदा कर सकते हैं।

लेनिन ने यह भली–भांति समझा कि क्रांतिकारी मंजिल को अंजाम देने के लिए श्रमजीवी वर्ग का नेतृत्व करने में सक्षम एक हिरावल पार्टी के निर्माण के कार्य में, हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार, योगदान देने की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने इस भूमिका को एक अनुकरणीय तरीके से निभाया।

यूरोपीय मज़दूर–वर्ग की पार्टियां जो द्वितीय इंटरनेशनल का हिस्सा थीं, संसदीय संघर्ष के लिए संगठित की गयी थीं। ये पार्टियां मज़दूर वर्ग को उन संघर्षों के लिए नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं थीं, जिनका मक़सद मज़दूर वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता को बलपूर्वक छीनना था। लेनिन ने पेशेवर क्रांतिकारियों की एक ऐसी पार्टी के निर्माण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जिसके सदस्य सबसे लड़ाकू और वर्ग–सचेत मज़दूर हों। ऐसी पार्टी की सभी गतिविधियां अपने समय के सबसे उन्नत सिद्धांत पर आधारित होंगी। ऐसी पार्टी जो मज़दूर वर्ग को अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करने के लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होगी।

लेनिन ने रूस की धरती पर इस तरह की पार्टी की स्थापना और निर्माण के लिए एक दृढ़ और अनवरत संघर्ष किया। प्रारंभ में पार्टी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के नाम से जानी जाती थी। इसे अक्तूबर क्रांति के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ सोवियत यूनियन (बोल्शेविक) या संक्षेप में बोल्शेविक पार्टी के नाम से पहचाना जाने लगा।

बोल्शेविक पार्टी

19वीं शताब्दी के अंत में मज़दूर वर्ग के स्थानीय संगठन, स्थानीय समितियां, समाजवादी समूह और मार्क्सवादी अध्ययन मंडल वैचारिक भ्रांतियों और संगठनात्मक फूट की स्थिति में थे। इन सभी संगठनों के भीतर कुछ लोगों का एक प्रभावशाली समूह था, जिनके पास अपनी प्रेस भी थी और वे सैद्धांतिक आधार पर संगठनात्मक सामंजस्य की कमी और वैचारिक भ्रम को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। वे मज़दूर वर्ग की एकजुट और केंद्रीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्माण को अनावश्यक और कृत्रिम मानते थे। वे 'अर्थवाद' का प्रचार करते थे – अर्थात, यह विचार कि मज़दूर वर्ग को केवल अपनी आर्थिक मांगों पर ध्यान देना चाहिए। वे तर्क दिया करते थे कि जहां तक राजनीतिक मामलों का प्रश्न है, मज़दूरों को इसे पूंजीपति वर्ग और उदार लोकतंत्र की पार्टी के लिए छोड़ देना चाहिए। श्रमजीवी वर्ग की मजबूत एकता और एक केंद्रीकृत पार्टी की स्थापना के लिए अर्थवाद की इस प्रवृत्ति को पराजित करने की सख़्त ज़रूरत थी।

लेनिन ने अपनी एक पुस्तक, जो 1902 में प्रकाशित हुई थी "क्या करें?" – में विस्तार से समझाया कि किस तरह से अर्थवाद की प्रवृत्ति पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करती है। वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी राजनीतिक चेतना को बाहर रखकर, यह अर्थवाद की प्रवृत्ति मज़दूर वर्ग के आंदोलन में पूंजीवादी विचारधारा को फैलाने में सहायक होती है।

श्रमजीवी वर्ग को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए लेनिन ने एक नये तरह की पार्टी, जो इस ज़िम्मेदारी को निभाने के क़ाबिल हो, इस विचार को विस्तार से समझाने की कोशिश की। ऐसी पार्टी जो श्रमजीवी वर्ग का हिरावल दस्ता हो, उसे श्रमजीवी वर्ग का एक वर्ग–सचेत और संगठित दस्ता होना चाहिए, जो पूरे वर्ग को नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हो। इसे मज़दूर वर्ग के अलग–अलग प्रकार के संगठनों में सबसे अधिक उन्नत होना चाहिए। उन्होंने इस तरह की पार्टी के निर्माण की दिशा में पहले, और आवश्यक क़दम के रूप में एक अखिल–रूसी राजनीतिक अख़बार स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया।

रूसी सोशल–डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की पहली कांग्रेस 1898 में बुलाई गई थी, लेकिन इस कांग्रेस से एक एकजुट श्रमजीवी पार्टी का निर्माण नहीं हुआ। इस कांग्रेस में एक सामान्य कार्यक्रम या संगठनात्मक नियमों को नहीं अपनाया गया था। 1903 में आयोजित दूसरी कांग्रेस एक क्रांतिकारी कार्यक्रम को अपनाने में सफल रही, जिसको लेनिन और उनके साथियों द्वारा परिभाषित किया गया था। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ज़ारशाही को उखाड़ फेंकना था, बुर्जुआ–लोकतांत्रिक क्रांति को पूरा करना और समाजवादी क्रांति को आगे बढ़ाना था। तात्कालिक मांगों में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, 8 घंटे का कार्य दिवस और भूमि सम्पदा पर कब्ज़ा किये हुए बड़े मालिकों के हाथों से ज़मीन को जब्त करना शामिल था।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर द्वितीय कांग्रेस में तीव्र संघर्ष हुआ, वह था पार्टी की सदस्यता के नियमों का प्रश्न।

लेनिन और उनके समर्थकों ने ज़ोर देकर कहा कि एक सदस्य के लिए पार्टी के कार्यक्रम का समर्थन करना और नियमित सदस्यता राशि देना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक सदस्य को पार्टी के किसी न किसी संगठन में अनुशासन के तहत काम करना भी आवश्यक है। तभी सभी पार्टी सदस्य एक समान अनुशासन में आएंगे और एक एकीकृत ताक़त के रूप में काम करेंगे।

प्रत्येक सदस्य को एक पार्टी संगठन के अनुशासन के तहत काम करना चाहिए, इसका मार्तोव और उनके समर्थकों, जिनमें ट्रॉट्स्की शामिल थे, उन्होंने पार्टी सदयस्ता की इस आवश्यकता का विरोध किया। उनका तर्क था कि ऐसा करने से कई बुर्जुआ बुद्धिजीवी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेनिन और उनके समर्थकों ने तर्क दिया कि यह बेहतर होगा कि पार्टी के अनुशासन का विरोध करने वाले पार्टी के सदस्य न बनें।

पार्टी की सदस्यता के नियमों पर संघर्ष ने द्वितीय कांग्रेस में शामिल प्रतिनिधियों को दो समूहों में विभाजित कर दिया।

शेष अगले पृष्ठ पर

लेनिन ने मार्क्सवाद के मूल निष्कर्ष की हिफ़ाज़त की और उसका विस्तार किया कि, यह वर्गों के बीच संघर्ष है, जो समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाता है न कि कुछ व्यक्तिगत नायकों की कार्रवाइयां। श्रमजीवी वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं और उसे अपनी श्रम शक्ति को बेचकर ही गुजारा करना पड़ता है, यही वह वर्ग है जो इस काल में समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन को अंजाम दे सकता है। यही वह वर्ग है जो दिन पर दिन बढ़ रहा है और जिसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में, किसान बिखरने के लिए बाध्य हैं। किसानों में से कुछेक पूंजीपति वर्ग में शामिल हो जायेंगे और बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग का हिस्सा बन जायेंगे।

लेनिन के नेतृत्व वाले समूह को बोल्शेविक कहा जाता था, जबकि विरोधी समूह को मेंशेविक कहा जाता था। बोल्शेविकों ने जिन संगठनात्मक सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया उनका लेनिन की पुस्तक "एक क़दम आगे और दो क़दम पीछे" जो मई 1904 में प्रकाशित हुई थी उसमें विस्तार से उल्लेख किया गया।

बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच संघर्ष न केवल संगठनात्मक सिद्धांतों पर था, बल्कि पार्टी की राजनीतिक लाइन पर भी था। वास्तव में ज़ार के रूस में जहां पर अभी तक कोई लोकतांत्रिक क्रांति नहीं हुई थी, वहां पर क्रांति की रणनीति और दांवपेंच के बारे में मेंशेविकों और बोल्शेविकों के विपरीत विचार और प्रस्ताव थे। रूस की अधिकांश आबादी किसानों की थी जिनका शोषण, दमन और लूट, रूसी ज़ार के राज्य से समर्थन प्राप्त बड़े ज़मींदार बड़े पैमाने पर करते थे। पूंजीवादी उद्योग का बड़े पैमाने पर, तेज़ी से विकास हो रहा था और परिणामस्वरूप, Jethoh वर्ग की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। रूसी ज़ार के राज्य ने मज़दूरों और किसानों के अधिकारों को कोई मान्यता नहीं दी थी।

मेंशेविकों ने तर्क़ दिया कि लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व पूंजीपति वर्ग को करना होगा और बुर्जुआ लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित होने के बाद ही श्रमजीवी शासन और समाजवाद की ओर आगे बढ़ना संभव होगा। उन्होंने श्रमजीवी वर्ग को क्रांतिकारी तरीक़े से काम न करने के लिए आगाह किया क्योंकि यह उदार–पूंजीपतियों को डरा देगा।

लेनिन और बोल्शेविकों ने तर्क़ दिया कि लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व श्रमजीवी वर्ग को करना होगा। श्रमजीवी वर्ग को किसानों के साथ घनिष्ठ गठबंधन बनाना होगा और पूंजीपति वर्ग से अलग करना होगा। पूंजीपति वर्ग मज़दूरों और किसानों की राजनीतिक सत्ता बनने के सख़्त ख़िलाफ़ था – मज़दूरों–किसानों के सत्ता में आने के बजाय, पूंजीपति वर्ग को रूसी ज़ार के राज्य को समर्थन करना मंजूर था। श्रमजीवी वर्ग को सामंती जमींदारों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के ख़िलाफ़ और ज़ार के रूस में शासन के तहत चल रहे राष्ट्रीय उत्पीड़न के ख़िलाफ़, लोकतांत्रिक संघर्ष में सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाते हुए, श्रमजीवी वर्ग को अपने पक्ष में देश के अधिकांश लोगों का बहुमत हासिल करना चाहिए। लेनिन की प्रसिद्ध पुस्तक, "जनवादी क्रांति में सामाजिक–जनवाद की दो कार्यनीतियां" (जुलाई 1905 में प्रकाशित) में क्रांतिकारी सिद्धांत पर आधारित एक क्रान्तिकारी रणनीति का विस्तार से वर्णन किया गया है।

1905 से 1907 की अवधि रूस के इतिहास में एक क्रांतिकारी अवधि के रूप में जानी जाती है। 1900–03 के आर्थिक संकट ने मेहनतकश जनता के कष्ट को बहुत बढ़ा दिया था। जापान के ख़िलाफ़ 1904 में युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध ने लोगों की कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया। इस युद्ध में दुश्मन द्वारा ज़ार की सेना के 1,20,000 से अधिक सैनिक या तो मार दिये गए या घायल हो गये या दुश्मन द्वारा कैदी बनाये लिये गये, जिनमें सब किसानों और मज़दूरों के बेटे थे। इससे आम जनता के असंतोष में बहुत बड़ा इज़ाफ़ा हुआ।

9 जनवरी, 1905 को हज़ारों मज़दूरों ने विंटर पैलेस तक जुलूस निकाला और ज़ार निकोलस को संबोधित करते हुये एक याचिका प्रस्तुत की। जुलूस में शमिल मज़दूरों में से कई ने चर्च के बैनर और ज़ार के चित्र के साथ हिस्सा लिया। ज़ार ने अपने सैनिकों को निहत्थे मज़दूरों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। उस दिन एक हज़ार से ज्यादा मज़दूर मारे गए थे और दो हज़ार से ज्यादा घायल हो गये थे। सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कें मज़दूरों के खून से लथ–पथ हो गई थीं। उस खूनी रविवार को दिन–दहाड़े हुए क़त्लेआम ने पूरे रूस के मज़दूरों और किसानों को जगा दिया। इस क़त्लेआम ने पूरे देश में एक क्रांतिकारी विद्रोह को जन्म दिया। मज़दूरों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक हड़तालों के बाद किसानों ने भी ज़ार के ख़िलाफ़ जन–विरोध प्रदर्शन किये। एक नौसैनिक युद्धपोत के सैनिकों ने रूसी ज़ार के शासन के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारी मज़दूरों के साथ हाथ मिलाया।

क्रांति के डर से पूंजीपतियों ने एक डूमा (संसद) की स्थापना सहित विभिन्न रियायतें देने के लिए रूसी ज़ार को राजी किया। एक बार जब जापान के ख़िलाफ़ युद्ध समाप्त हो गया और रूसी राज्य ने अपनी ताक़त वापस पा ली तो ज़ार ने क्रांतिकारियों से बदला लेना शुरू कर दिया। 1908 से मज़दूरों और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सैकड़ों क्रांतिकारियों को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें यातनाएं दी गईं और मौत के घाट उतार दिया गया। लेनिन को देश छोड़कर विदेश में रहना पड़ा।

1905 की क्रांति की हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए, बोल्शेविकों ने एक मज़दूर–किसान गठबंधन की अनुपस्थिति को एक प्रमुख कारण के रूप में पहचाना। एक अन्य प्रमुख कारण यह भी था कि मज़दूर वर्ग जो क्रांति का प्रमुख और अग्रणी ताक़त था, लेकिन उसमें एकीकृत नेतृत्व का अभाव था। ऐसी हिरावल पार्टी जो बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच बंटी थी, इसके कारण श्रमजीवी वर्ग क्रांति को नेतृत्व नहीं दे सका। बाहरी कारणों में से एक यह भी था कि पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यवादियों ने ज़ार के राज्य द्वारा क्रांति को कुचलने में सहायता की। विदेशी इजारेदार पूंजीपति रूस में अपने निवेश को और अपने भारी मुनाफ़े को बचाने के लिए ज्यादा उत्सुक थे। उन्हें यह भी डर था कि रूस में क्रांति अन्य देशों में भी क्रांति को जन्म दे सकती है।

1905–08 के घटनाक्रम से यह साफ़–साफ़ दिखाई पड़ा कि बोल्शेविकों को पता था कि वास्तविक स्थिति के अनुसार कैसे आगे बढ़ें। उन्होंने वास्तविक स्थिति के अनुसार, आगे बढ़ना और हमले के दौरान सभी लोगों का नेतृत्व करना सीखा। उन्होंने यह भी सीखा कि यदि ऐसे हालात बनते हैं कि पीछे हटने की नौबत आ जाये तो पीछे कैसे हटना है।

प्रतिक्रिया और दमन की अवधि के दौरान, कठिन परिस्थितियों में बोल्शेविकों को जनता के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए जो भी मौके मिले, उन सभी कानूनी अवसरों का उपयोग भी उन्होंने किया – जिसमें ट्रेड यूनियनों, बीमार–लाभ–समितियों और डूमा (संसद) के मंच भी शामिल थे। उन्होंने सीखा कि उन हालातों में जब प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गयी हो, तो घबराहट या हंगामा किये बिना कैसे एक सुनियोजित तरीक़े से पीछे हटना है ताकि अपने साथियों को सुरक्षित किया जा सके, उनको पुनर्गठित किया जा सके और इसके साथ–साथ दुश्मन के ख़िलाफ़ एक नए आक्रमण के लिए फिर से तैयारी शुरू की जा सके।

श्रमजीवी वर्ग को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए लेनिन ने एक नयी तरह की पार्टी, जो इस ज़िम्मेदारी को निभाने के क़ाबिल हो, इस विचार को विस्तार से समझाने की कोशिश की। ऐसी पार्टी जो श्रमजीवी वर्ग का हिरावल दस्ता हो, उसे श्रमजीवी वर्ग का एक वर्ग–सचेत और संगठित दस्ता होना चाहिए, जो पूरे वर्ग का नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हो। इसे मज़दूर वर्ग के अलग–अलग प्रकार के संगठनों में सबसे अधिक उन्नत होना चाहिए। उन्होंने इस तरह की पार्टी के निर्माण की दिशा में पहले और आवश्यक क़दम के रूप में एक अखिल–रूसी राजनीतिक अख़बार स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया।

मेंशेविकों ने उस समय दहशत फैला दी कि हालातें क्रांति के ख़िलाफ़ हो गयी हैं। उन्होंने सभी अवैध पार्टी संगठनों को मिटा देने का आह्वान किया। कई लोग जिन्हें मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों के रूप में जाना जाता था, वे मार्क्सवाद के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को नकार कर मार्क्सवाद को 'सुधारना' चाहते थे। इस प्रवृत्ति का उद्देश्य पार्टी के सदस्यों में निराशा फैलाना था। मार्क्सवाद से दूर होने वाले कुछ बुद्धिजीवी तो एक नए धर्म की स्थापना की भी वकालत करने लगे। मार्क्सवादी सिद्धांत से धोखा करने वाले ऐसे पाखण्डी लोगों को एक सही जवाब देने के लिए और उनके चेहरों से मुखौटा हटाकर उनका पर्दाफ़ाश करने के लिए तथा इस तरह मार्क्सवादी पार्टी की सैद्धांतिक नींव को सुरक्षित रखने के लिए सही क़दम उठाना एक ज़रूरी आवश्यकता बन गई। इस आवश्यकता को लेनिन द्वारा 1908 में प्रकाशित "भौतिकवाद और अनुभवसिद्ध आलोचना" नामक पुस्तक द्वारा संबोधित किया गया था।

वर्ष 1911 के अंत तक बोल्शेविकों को यह लगने लगा था कि क्रांतिकारी लहर में एक और ज्वार आने की संभावनाएं बढ़ रही थीं। लेनिन के नेतृत्व में एक एकजुट हिरावल पार्टी की स्थापना के लिए किए गए संघर्ष ने बोल्शेविक कार्यक्रम और योजना के समर्थन में लगभग सभी क्रांतिकारी कम्युनिस्टों को जीतने में सफलता हासिल की। हालांकि पार्टी के भीतर मेंशेविकों की तरह अन्य अवसरवादियों की निरंतरता एक नए प्रकार की पार्टी – एक ऐसी पार्टी जो अवसरवादी तत्वों से मुक्त हो और सत्ता के संघर्ष में श्रमजीवी वर्ग का नेतृत्व करने में सक्षम हो – के निर्माण को रोक रही थी।

जनवरी 1912 में प्राग में आयोजित छठे अखिल–रूसी पार्टी सम्मेलन ने मेंशेविकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार लोकतांत्रिक–केंद्रीयवाद के आधार पर अपनी पार्टी की फ़ौलादी एकता बनाने के साथ–साथ, लेनिनवादी प्रकार की एक नयी पार्टी को बनाने और मजबूत करने का मार्ग खुल गया।

प्रावदा नामक एक शानदार जन–श्रमिक अख़बार के साथ लैस होकर, बोल्शेविक पार्टी ने क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को भर्ती किया और प्रशिक्षित किया। 1917 तक बोल्शेविक पार्टी मार्क्स की क्रांतिकारी दिशा से लैस होकर, अपने सदस्यों में फ़ौलादी एकता के साथ, सबसे उन्नत और मज़दूर वर्ग के सबसे संगठित दस्ते के रूप में उभरी।

अक्तूबर क्रांति

बोल्शेविक पार्टी ने मानव इतिहास में सबसे पहली और सफ़ल समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किया। बोल्शेविक पार्टी ने रूस के मज़दूरों, किसानों और सैनिकों को पूंजीपति वर्ग के राज्य को उखाड़ फेंकने और नवंबर 1917 (रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्तूबर) में सोवियत राज्य स्थापित करने के निर्णायक संघर्ष में नेतृत्व दिया।

7 नवंबर, 1917 को क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं, सैनिकों और नाविकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रतिनिधियों को गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने मंत्रालयों और स्टेट बैंक के साथ–साथ, रेलवे स्टेशनों, डाक और टेलीग्राफ कार्यालयों पर भी कब्ज़ा कर लिया। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग ने रूस में राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

अगले दिन मज़दूरों और सैनिकों की सोवियतों (प्रतिनिधि समितियों) की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस ने मज़दूरों, सैनिकों और किसानों के लिए एक अपील को मंजूरी दी और यह घोषणा की कि सोवियतों की कांग्रेस ने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त करने के लिए, सोवियतों की कांग्रेस ने शांति पर एक हुक्मनामा जारी करने का निर्णय भी लिया। सोवियतों की कांग्रेस ने भूमि पर एक हुक्मनामा जारी करने के प्रस्ताव को अपनाया, जिसके ज़रिये सैकड़ों करोड़ एकड़ उपजाऊ भूमि के मालिक ज़मींदारों को उनकी ज़मीन से वंचित का दिया गया और ज़मीन को किसान समितियों को दे दिया गया। सोवियत की कांग्रेस ने कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में पहली सोवियत सरकार स्थापित की। कामरेड लेनिन को जन कमिसारों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सोवियत सरकार ने तुरंत ऐसे क़दम उठाये कि खदानों, इस्पात संयंत्रों, मशीन कारख़ानों और बैंकों को पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के बजाय लोगों की सामाजिक संपत्ति में बदल दिया गया।

अक्तूबर क्रांति ने दुनिया को हिला दिया और पूरे पूंजीपति वर्ग को दहशत में डाल दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक शोषक अल्पसंख्यक का शासन, सिर्फ एक और शोषणकारी अल्पसंख्यक के शासन की जगह न ले, जैसा कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति के द्वारा हुआ था। पूंजीपति वर्ग के शासन का स्थान अक्तूबर क्रांति के द्वारा श्रमजीवी

शेष अगले पृष्ठ पर

वर्ग के नेतृत्व में, अब तक के शोषित बहुमत के शासन ने ले लिया था। उत्पादन के साधनों को पूंजीपतियों और ज़मींदारों की निजी संपत्ति की बजाय सभी लोगों की सामाजिक संपत्ति या सामूहिक संपत्ति में बदल दिया गया।

अक्तूबर क्रांति ने एक ऐसे राज्य को जन्म दिया जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी प्रकार के शोषण और शोषणकारी वर्गों को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। सोवियत संघ में समाजवाद के आने से एक तरफ देश के मज़दूरों और किसानों ने अपने जीवन स्तर में लगातार वृद्धि का सुख प्राप्त किया तो दूसरी तरफ अक्तूबर क्रांति ने सभी देशों के श्रमजीवी और उत्पीड़ित लोगों को क्रांति और समाजवाद के रास्ते को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

युग का विश्लेषण

बोल्शेविक पार्टी ने ऐसे समय में अपने संघर्ष को अंजाम दिया जब विश्व स्तर पर अचानक बड़े बदलाव हुए। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद में विकसित हो गया था, जिसका मतलब है इजारेदार वित्त पूंजी द्वारा शोषण और लूट की एक वैश्विक प्रणाली विकसित हो गई थी। अब दुनिया के अधिकांश वस्तु बाज़ारों और वित्त बाज़ारों पर कुछ मुट्ठीभर इजारेदार पूंजीपति हावी हो गए थे, इसलिए पूंजीवाद के कानूनों का संचालन भी बदल गया। सभी महाद्वीपों के क्षेत्र पर एक या अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों ने कब्ज़ा कर लिया था और अब आगे ऐसी शक्तियों के बीच केवल पुनः विभाजन ही संभव था।

लेनिन ने मार्क्सवाद के विज्ञान के आधार पर दुनिया में हो रहे इन परिवर्तनों का विश्लेषण करने में बोल्शेविकों का नेतृत्व किया। उन्होंने उस समय के कई तथाकथित दिग्गज मार्क्सवादियों के मार्क्सवाद–विरोधी विचारों के ख़िलाफ़ एक दृढ़–संघर्ष का नेतृत्व किया। जर्मन सोशल–डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रमुख सदस्य और एक बड़े मार्क्सवादी सिद्धांतकार माने जाने वाले कार्ल काउत्स्की ने दावा किया कि पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा का इजारेदार पूंजीवाद में बदलना, पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवाद और कम्युनिज़्म में शांतिपूर्ण परिवर्तन की संभावना को इंगित करता है।

लेनिन ने काउत्स्की के तथाकथित सिद्धांत के दोष और भ्रम का पर्दाफ़ाश किया। उन्होंने मार्क्सवादी निष्कर्ष की रक्षा की और उसे फिर से दोहराया कि पूंजीपति वर्ग और श्रमजीवी वर्ग के बीच के अंतर्विरोध को शांतिपूर्ण तरीक़े से नहीं सुलझाया जा सकता। इसे केवल एक क्रांति के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। क्रांति के द्वारा पूंजीवादी शासन को बलपूर्वक उखाड़ फेंककर श्रमजीवी राज्य की स्थापना की जाती है। साम्राज्यवाद इस तरह की क्रांति के लिए ज़मीनी हालात पैदा करता है, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति बनाता है।

लेनिन के मार्क्सवाद के विज्ञान पर आधारित, साम्राज्यवाद के विश्लेषण से उस विज्ञान का और विकास हुआ। लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के उच्चतम और अंतिम अवस्था के रूप में परिभाषित किया, जब समाज के सभी अंतर्विरोध तीव्र हो जाते हैं। असमान पूंजीवादी विकास के नियम के अनुसार, प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यवादी राज्यों के बीच शक्ति संतुलन में बार–बार बदलाव होते हैं। और इसीलिए साम्राज्यवादी अंतर्विरोध समय–समय पर दुनिया के फिर से विभाजन के लिए सशस्त्र अंतर–साम्राज्यवादी टकराव की ओर ले जाता है। उस तरह की हालातें पैदा करता है। इस तरह साम्राज्यवाद में दरार पड़ने की संभावनाएं, दुनिया में क्रांति के लिये अवसर और संभावनाएं पैदा करती हैं, वैश्विक साम्राज्यवादी श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी के टूटने की संभावनाएं पैदा होती हैं – क्रांति के हालात बनते हैं।

लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने पूंजीवाद के इस साम्राज्यवादी चरण की परिभाषित विशेषताओं में से एक यह बताया कि विश्व स्तर पर पूंजीपति वर्ग, पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी वर्ग है। जब मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र लिखा, तो उन्होंने पूंजीवाद के विकास के प्रारंभिक चरण में पूंजीपति द्वारा निभाई गई प्रगतिशील भूमिका को रेखांकित किया था, जब वह सामंती विशेषाधिकारों के ख़िलाफ़ और नागरिक स्वतंत्रता के लिए भी लड़ा था। पूंजीवाद के साम्राज्यवादी चरण में पूंजीपति वर्ग श्रमजीवी क्रांति के मार्ग को रोकने के लिए, सभी प्रकार की पिछड़ी ताक़तों के साथ हाथ मिलाने के लिए तत्पर रहता है। और इसलिए साम्राज्यवादी युग में पूंजीपति वर्ग राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करता है।

अक्तूबर क्रांति ने दुनिया को हिला दिया और पूरे पूंजीपति वर्ग को दहशत में डाल दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक शोषक अल्पसंख्यक का शासन, सिर्फ एक और शोषणकारी अल्पसंख्यक के शासन की जगह न ले, जैसा कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति के द्वारा हुआ था। पूंजीपति वर्ग के शासन का स्थान अक्तूबर क्रांति के द्वारा श्रमजीवी वर्ग के नेतृत्व में, अब तक के शोषित बहुमत के शासन ने ले लिया था। उत्पादन के साधनों को पूंजीपतियों और ज़मींदारों की निजी संपत्ति की बजाय सभी लोगों की सामाजिक संपत्ति या सामूहिक संपत्ति में बदल दिया गया।

ज़ार के निरंकुश शासन के स्थान पर किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था और राज्य की स्थापना करनी चाहिए?

बोल्शेविकों और मेंशेविकों ने इस सवाल के जवाब बिलकुल एक दूसरे के विपरीत दिए थे। मेंशेविक चाहते थे कि एक पूंजीवादी जनतंत्र स्थापित हो, जो ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे और उन्नत पूंजीवादी देशों में मौजूदा व्यवस्थाओं की तरह हो। बोल्शेविकों ने एक नए तरह के राज्य को स्थापित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, एक श्रमजीवी लोकतंत्र की राज्य व्यवस्था जो पूंजीवादी शोषकों पर अधिनायकत्व का प्रयोग करेगा।

साम्राज्यवादी युद्ध की प्रतिक्रिया

साम्राज्यवाद का पूंजीवाद की एक ऐसी अवस्था के रूप में विश्लेषण, जब पूंजीपति वर्ग को दुनिया के पुनर्विभाजन के लिए युद्ध करना पड़ता है, यह 1914 में बिल्कुल सही साबित हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध ने बोल्शेविक पार्टी को बहुत ही कठिन स्थिति में पहुंचा दिया चूंकि यूरोप के मज़दूरों की प्रमुख पार्टियों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी वर्ग के साथ विश्वासघात किया और अपने देश के पूंजीपति वर्ग का साथ दिया। बोल्शेविक पार्टी ने इस विश्वासघात के ख़िलाफ़ और साम्राज्यवाद तथा पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष में दुनिया के सभी मज़दूरों की एकता के समर्थन में और इस एकता की रक्षा के लिए एक अडिग संघर्ष किया।

युद्ध के शुरू होने से पहले, 24–25 नवंबर, 1912 को बाज़ल शहर में एक असाधारण अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेने वाली पार्टियों में बोल्शेविक पार्टी, ब्रिटेन की लेबर पार्टी और फ्रांस तथा जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां शामिल थीं। बाज़ल कांग्रेस ने अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध करने के लिए सभी देशों के श्रमजीवी वर्ग के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए एक घोषणापत्र प्रकाशित किया था।

बाज़ल घोषणापत्र ने कहा कि 'युद्ध को रोकने के लिए हर प्रयास को जारी रखना', शामिल देशों में मज़दूर वर्ग और उनके संसदीय प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। यह भी कहा गया कि यदि युद्ध किसी भी कारणवश शुरू हो जाता है, तो यह उनका कर्तव्य है कि 'युद्ध द्वारा उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक संकट का इस्तेमाल लोगों को आंदोलित करने के लिये करें और इस तरह पूंजीपति वर्ग के शासन के पतन की संभावनों को और तेज़ करें।'

अक्तूबर क्रांति राज्य और क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित एक सामाजिक क्रांति का पहला उदाहरण थी। इसने मार्क्सवाद के उस मौलिक निष्कर्ष का एक व्यावहारिक प्रदर्शन और प्रमाण प्रदान किया, जिसके अनुसार वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व को जन्म देगा और इस नयी राज्य सत्ता की ज़िम्मेदारी होगी यह सुनिश्चित करना कि समाज सभी प्रकार के शोषण और वर्गीय संघर्षों से मुक्त हो।

जब 1914 में युद्ध छिड़ गया तो पश्चिमी यूरोप के मज़दूर वर्ग की पार्टियों के नेताओं ने बाज़ल घोषणापत्र के फ़ैसलों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने अपने–अपने देशों की साम्राज्यवादी सरकारों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने श्रमजीवी वर्ग से 'पितृभूमि की रक्षा' के नाम पर अपने ही देश के पूंजीपति वर्ग का समर्थन करने का आह्वान किया!

ब्रिटिश और फ्रांसीसी मज़दूर किसान अपने ही वर्ग के जर्मन भाइयों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए लामबंध किये गए थे। जर्मन मज़दूरों को उनकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि रूसी उनके दुश्मन हैं।

बोल्शेविक पार्टी ने दूसरे इंटरनेशल के नेताओं द्वारा बाज़ल घोषणापत्र के साथ विश्वासघात के ख़िलाफ़ एक कड़ा संघर्ष किया और बाज़ल घोषणापत्र के फ़ैसलों के साथ समझौता नहीं किया। बोल्शेविक पार्टी ने इन बड़े नेताओं का पर्दाफ़ाश किया और सामाजिक उग्र–राष्ट्रवादियों के रूप में उनकी निंदा की। सामाजिक उग्र–राष्ट्रवाद का अर्थ है – शब्दों में समाजवादी बयानबाजी और हक़ीक़त में सामाजिक – उग्र–राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी युद्ध का समर्थन। बोल्शेविक पार्टी ने बाज़ल घोषणापत्र के फ़ैसलों के मुताबिक, पूंजीवादी राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए साम्राज्यवादी युद्ध को एक गृहयुद्ध में परिवर्तित करने की हर संभव कोशिश करने के निर्णय को माना और उसे रूस में बखूबी लागू किया।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, रूसी मज़दूरों किसानों और रूसी ज़ार की सेना में भर्ती उनके बेटों को भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ा। भोजन की भारी कमी और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी के कारण लोगों में असंतोष बढ़ा। बोल्शेविक पार्टी ने इस असंतोष को दिशा दी – ज़ार के शासन के ख़िलाफ़, पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ और साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिये किये गये नाजायज़ युद्ध के ख़िलाफ़।

फरवरी 1917 में एक क्रांतिकारी जन–संघर्ष ने रूसी ज़ार के शासन को उखाड़ फेंका और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। बोल्शेविक पार्टी ने घटनाक्रम का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्रमजीवी वर्ग और उसके सहयोगियों की अपर्याप्त तैयारी के कारण, क्रांतिकारी विद्रोह ने राजनीतिक सत्ता पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दी। सोवियतें ऐसे नेताओं के प्रभाव में थीं जिन्होंने उन्हें पूंजीपति वर्ग के एक लोकतांत्रिक भाग के ऊपर अपना विश्वास रखने के लिए कहा। क्रांति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राजनीतिक सत्ता को श्रमजीवी वर्ग के हाथों में लाने की सख़्त ज़रूरत थी, श्रमजीवी वर्ग जिसका किसानों और अन्य सभी उत्पीड़ित तबकों के साथ गठबंधन बना था। बोल्शेविक पार्टी ने धैर्य के साथ और लगातार प्रयासों के द्वारा सभी मज़दूरों और किसानों को अपनी सोवियत में संगठित होकर, सारी राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेने की आवश्यकता और इसमें सफलता की संभावनाओं पर यक़ीन दिलाया।

राजनीतिक सत्ता को सोवियतों के हाथों में स्थानांतरित करके अक्तूबर क्रांति ने एक पूरी तरह से नए राज्य, सोवियत राज्य की नींव रखी।

राज्य के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग

अक्तूबर क्रांति राज्य और क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित एक सामाजिक क्रांति का पहला उदाहरण थी। इसने मार्क्सवाद के उस मौलिक निष्कर्ष का एक व्यावहारिक प्रदर्शन और प्रमाण प्रदान किया, जिसके अनुसार वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व को जन्म देगा और इस नयी राज्य सत्ता की ज़िम्मेदारी होगी यह सुनिश्चित करना कि समाज सभी प्रकार के शोषण और वर्गीय संघर्षों से मुक्त हो।

राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिए श्रमजीवी वर्ग की पहली कोशिश, 1871 में हुई थी। मज़दूरों ने राज्य सत्ता

शेष पृष्ठ 6 पर

पृष्ठ 1 का शेष

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 46 साल

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) की स्थापना हुयी।

कामरेड चारू मजूमदार की अगुवाई में भाकपा (माले) ने बड़ी बहादुरी के साथ इस सच्चाई को स्पष्ट किया कि 1947 में उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के साथ विश्वासघात किया गया था। राजनीतिक सत्ता को अंग्रेज साम्राज्यवादियों के हाथों से, हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों और बड़े ज़मींदारों के हाथों में हस्तांतरित किया गया। उपनिवेशवाद के पश्चात, हिन्दोस्तान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गयी, शोषण की घिनावनी व्यवस्था बरकरार रखी गयी। इस विश्लेषण और निष्कर्ष के आधार पर पार्टी ने साम्राज्यवाद–विरोधी और सामंतवाद–विरोधी संघर्ष को पूरा करने के लिए, लोक जनवादी क्रांति का आह्वान किया। "1947 की जंजीरों को चकनाचूर करना होगा!", यह नारा दबे–कुचले जनसमुदाय और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के दिलों और दिमागों में बस गया।

देश के अनेक इलाकों में और विदेशों में निवासी हिन्दोस्तानियों में, हजारों–हजारों कम्युनिस्ट भाकपा (माले) के इस आह्वान के इर्द–गिर्द लामबंध हुए। कनाडा, अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में कम्युनिस्टों ने भाकपा (माले) की अगुवाई में चल रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन के समर्थन में हिन्दोस्तानी मज़दूरों और छात्रों को संगठित करना शुरू कर दिया। हर विश्वविद्यालय और कालेज परिसर में नौजवान छात्र हिन्दोस्तानी राज्य के चरित्र में आमूल परिवर्तन लाने के इस आह्वान से प्रेरित होकर आगे आये।

जैसे–जैसे इस क्रान्तिकारी जागरुकता का विस्तार होता गया, वैसे–वैसे 1970 के शुरुआती वर्षों में मज़दूरों और किसानों के संघर्ष और तेज़ होने लगे। इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों ने वहशी राजकीय दमन के साथ इसका जवाब दिया। 1968 के आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) को लागू करके अनेक क्षेत्रों में मज़दूरों की हड़तालों को अवैध करार किया गया। 1971 में लागू किये गए अंदरूनी सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के तहत हजारों–हजारों कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ़्तार किया गया और बेरहमी से प्रताड़ित किया गया।

कामरेड चारू मजूमदार और भाकपा (माले) के दूसरे नेताओं को गिरफ़्तार करके, हिरासत में ही मार दिया गया। लेकिन पार्टी की क्रान्तिकारी लाइन का असर देश–विदेश में फैलता रहा। बार–बार मज़दूरों और किसानों के बड़े–बड़े जुझारू प्रदर्शन होने लगे। 1974 में भारतीय रेल की सबसे बड़ी सर्व–हिन्द हड़ताल हुयी, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ठप्प हो गयी।

हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग के सामने क्रांति का ख़तरा था। इस ख़तरे का मुक़ाबला करने के लिए, इजारेदार पूंजीवादी घरानों ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करवाने की सलाह दी। इस फ़ैसले का मुख्य मक़सद था क्रांति के ख़तरे को ख़त्म करना और राज्य सत्ता पर इजारेदार पूंजीवादी घरानों के नियंत्रण को मजबूत करना।

इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने आपातकाल को दांय–पंथी प्रतिक्रिया के ख़िलाफ़ लड़ाई के रूप में पेश किया। सरकार ने दावा किया कि वह देश को अस्थायी बनाने की कोशिश करने वाली विदेशी ताक़तों के ख़िलाफ़ और जन संघ जैसी सांप्रदायिक ताक़तों के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। इसी प्रचार को दुनियाभर में सोवियत संघ ने बार–बार दोहराया और फैलाया, जिसके साथ हिन्दोस्तान ने 1971 में एक सैनिक संधि की थी।

पूंजीवादी संसदीय विपक्ष ने दावा किया कि वह इंदिरा गांधी की निरंकुशता व भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए लड़ रहा था।

हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग के सामने क्रांति का ख़तरा था। इस ख़तरे का मुक़ाबला करने के लिए, इजारेदार पूंजीवादी घरानों ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करवाने की सलाह दी। इस फ़ैसले का मुख्य मक़सद था क्रांति के ख़तरे को ख़त्म करना और राज्य सत्ता पर इजारेदार पूंजीवादी घरानों के नियंत्रण को मजबूत करना।

लोकतंत्र की पुनः स्थापना के इस नारे का बर्तानवी–अमरीकी संस्थानों ने विदेश में खूब प्रचार किया।

भाकपा (माले) की शाखाओं ने मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को दमनकारी आपातकालीन सरकार के ख़िलाफ़, लोक जनवादी (पीपल्स डेमोक्रेटिक) क्रांति को क़ामयाब करने के मक़सद के साथ संघर्ष करने के लिए लामबंध किया। भाकपा (माले) की विदेशी शाखा की भूमिका को निभाते हुए, कामरेड हरदयाल बैंस की अगुवाई में हिन्दुस्तानी ग़दर पार्टी (विदेश निवासी हिन्दोस्तानी मार्क्सवादी–लेनिनवादियों का संगठन) ने हिन्दोस्तानी आप्रवासी मज़दूरों और विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दोस्तानी छात्रों के बीच में कम्युनिस्ट बुनियादी संगठन स्थापित किये।

हुक्मरान वर्ग ने आपातकाल की अवधि का इस्तेमाल करके, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों को कुचल डाला, जन संघर्षों को दबा दिया और इसके साथ–साथ, कांग्रेस पार्टी की जगह लेने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की।

संसदीय विपक्ष के नेताओं को गिरफ़्तार करके, उन्हें लोगों के सामने हीरो की तरह पेश किया गया। यही हुक्मरान वर्ग की योजना थी। अपने भरोसेमंद राजनेताओं को लोकतंत्र के बड़े योद्धाओं के रूप में पेश करके हुक्मरान वर्ग लोगों को क्रांति के रास्ते से हटाने में क़ामयाब रहा।

21 मार्च, 1977 को आपातकाल को औपचारिक तौर पर ख़त्म किया गया। कुछ ही दिनों में छठी लोक सभा के चुनाव कराये गए। कांग्रेस पार्टी की जगह पर जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी संसदीय विपक्ष की तमाम पार्टियों के विलयन के साथ बनी थी। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया कि जनता पार्टी की सरकार के बनने से लोगों और उनके अधिकारों के पक्ष में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।

परन्तु तथाकथित "लोकतंत्र की पुनः स्थापना" से मेहनतकश जनसमुदाय की कोई भी समस्या हल नहीं हुयी। 1980 में इजारेदार पूंजीपति "स्थाई सरकार" और "काम करने वाली सरकार" के नाम से कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार में फिर से वापस ले आये। हुक्मरानों ने सिख आतंकवाद और खालिस्तानी अलगाववाद का हव्वा खड़ा करके, पंजाब के लोगों के संघर्षों को बदनाम किया और फर्जी मुठभेड़ों में नौजवानों के क़त्लेआम को जायज़ ठहराया। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक हिन्दोस्तानी राज्य ने स्वर्ण मंदिर पर सेना द्वारा हमले को और नवम्बर 1984 के सांप्रदायिक जनसंहार को अगुवाई दी।

1990 के दशक से हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग ने इस्लामी आतंकवाद का हव्वा खड़ा करके, राजकीय आतंकवाद को जायज़ ठहराने की अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी लाइन का पालन किया है। हुक्मरान वर्ग की दोनों प्रमुख पार्टियों, कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक क़त्लेआम को अगुवाई दी है, जैसे कि 1992–93 और 2002 में। मुसलमान लोगों को मनमानी से गिरफ़्तार करना और उन पर हिंसक हमले करना – यह आम बात हो गयी है।

मार्च 1977 में तथाकथित लोकतंत्र की पुनः स्थापना से लेकर आज तक, हुक्मरान वर्ग केन्द्रीय राज्य की दमनकारी ताक़तों को लगातार बढ़ाता रहा है। जनता पार्टी की सरकार ने मीसा कानून को रद्द कर दिया था, परन्तु उसके बाद लोगों के अधिकारों के हनन को वैधता देने के लिए कई कठोर से कठोर काले कानून लागू किये गए हैं। इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका), आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (टाडा), आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (पोटा) और संशोधित गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (यू.ए.पी.ए.)। इस पूंजीवादी लोकतंत्र की जेलों में हजारों–हजारों मज़दूर, किसान, महिलाएं, नौजवान और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता सालों–सालों तक बिना सुनवाई के तड़पने को मजबूर हैं।

जब तक मज़दूरों और किसानों का संघर्ष पूंजीपतियों की राजनीति के चंगुल में फंसा रहेगा, तब तक हुक्मरान वर्ग को आपातकाल की घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि हम कम्युनिस्ट उदारीकरण और निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्षों को वर्तमान राज्य की जगह पर एक नया राज्य – मज़दूरों और किसानों का राज्य – स्थापित करने की दिशा में ले जाने में क़ामयाब होते हैं, तब क्रान्तिकारी हालत पैदा होगी। तब हुक्मरान वर्ग को आपातकाल लागू करने की ज़रूरत हो सकती है।

राजकीय आतंकवाद और राज्य द्वारा आयोजित साप्रदायिक हिंसा शासनतंत्र का पसंदीदा तरीक़ा बन गया है। किसी ख़ास धार्मिक समुदाय का हव्वा खड़ा करके लोगों को आपस में बांटना और गुमराह करना – यह देशी–विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के हित में है। ऐसा करके ही उन्होंने निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के अपने समाज–विरोधी एजेंडा को बढ़ावा दिया है। लोगों के जायज़ संघर्षों को "कानून–व्यवस्था" की समस्या के रूप में पेश किया जाता है।

इन सारी गतिविधियों से क्या दिखता है? यही, कि आपातकाल को लागू करने और लोकतंत्र की पुनः स्थापना के आन्दोलन को चलाने, दोनों के पीछे इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में हुक्मरान वर्ग का हाथ था। बुलेट और बैलट के ज़रिये हुक्मरान वर्ग ने क्रांति के ख़तरे को दूर कर दिया। जब कम्युनिस्ट आन्दोलन के एक धड़े ने आपातकाल का समर्थन किया और दूसरे धड़े ने जनता पार्टी और लोकतंत्र की पुनः स्थापना के नारे का समर्थन किया, तो इनसे पूंजीपतियों को मदद मिली, जिससे वे लोगों के संघर्ष के साथ दांवपेच करके क्रांति के ख़तरे को दूर कर सके।

इस समय कई पार्टियां कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मज़दूर वर्ग और किसान आन्दोलन को दबाने के लिए, इस साल आपातकाल लागू कर सकते हैं। उनकी यह सोच बिलकुल ग़लत है।

हमें फिर से समझना होगा कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा करने का फ़ैसला निजी तौर पर नहीं लिया था। आज नरेन्द्र मोदी खुद, निजी तौर पर ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकते हैं। आपातकाल की घोषणा करने का फ़ैसला हुक्मरान वर्ग लेता है। इजारेदार पूंजीपति ऐसा फ़ैसला तभी लेंगे जब उनकी हुकूमत को और शोषण की व्यवस्था को ख़तरा होगा।

आज बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो आपातकाल के समय की जैसी लगती हैं। परन्तु उस समय और आज के समय में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस समय अपने देश में और सारी दुनिया में क्रांति की लहर तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लाखों–लाखों मज़दूर, किसान, महिलाएं और नौजवान वर्तमान राज्य की जगह पर लोक जनवाद (पीपल्स डेमोक्रेसी) के एक नए राज्य की स्थापना करने के आन्दोलन में जुड़ रहे थे। यही मुख्य कारण था कि हुक्मरान वर्ग को आपातकाल की घोषणा करने का फ़ैसला लेना पड़ा था।

1990 के दशक के आरम्भ में, वह हालत बदल गयी। दुनियाभर में क्रांति की लहर ज्वार से भाटे में बदल गयी। सभी पूंजीवादी देशों में और अपने देश में भी प्रतिक्रियावादी पूंजीपति मज़दूर वर्ग और लोगों की रोज़ी–रोटी और अधिकारों पर अप्रत्याशित हमले करते आ रहे हैं।

आज देश में करोड़ों–करोड़ों मज़दूर और किसान उदारीकरण और निजीकरण के ख़िलाफ़ एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। तीनों किसान–विरोधी कानूनों को रद्द करने और सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी दाम की गारंटी की किसान आन्दोलन की फौरी मांगों का मज़दूर वर्ग

शेष पृष्ठ 6 पर

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 46 साल

पृष्ठ 5 का शेष

समर्थन करता है। मज़दूरों और किसानों के संघर्ष में यह क्षमता है कि वह वर्तमान राज्य के चरित्र में आमूल परिवर्तन लाने के आन्दोलन में विकसित हो। परन्तु इस समय संघर्ष में यह जागरुकता विकसित नहीं हुयी है।

जब तक मज़दूरों और किसानों का संघर्ष पूंजीपतियों की राजनीति के चंगुल में फंसा रहेगा, तब तक हुक्मरान वर्ग को आपातकाल की घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि हम कम्युनिस्ट उदारीकरण और निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्षों को वर्तमान राज्य की जगह पर एक नया राज्य – मज़दूरों और किसानों का राज्य – स्थापित करने की दिशा में ले जाने में क़ामयाब होते हैं, तब क्रान्तिकारी हालत पैदा होगी। तब हुक्मरान वर्ग को आपातकाल लागू करने की ज़रूरत हो सकती है।

आज क्रान्तिकारी जागरुकता के विकास के रास्ते में मुख्य रुकावट यह सोच है कि मज़दूरों और किसानों को संसदीय लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था और उसके संविधान को भाजपा जैसी सांप्रदायिक और फासीवादी ताक़तों के ख़तरे से बचाना है।

वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्था की हिफ़ाज़त करके मज़दूरों और किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो संविधान हमारे अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसकी हिफ़ाज़त करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है।

1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान का कोई उल्लंधन नहीं था। धारा 352 का यही मक़सद है कि जब–जब इजारेदार पूंजीवादी घरानों को अपनी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा महसूस होता है, तब–तब वे आपातकाल लागू कर सकते हैं और लोगों के सारे अधिकारों को छीन सकते हैं।

1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान का कोई उल्लंधन नहीं था। धारा 352 का यही मक़सद है कि जब–जब इजारेदार पूंजीवादी घरानों को अपनी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा महसूस होता है, तब–तब वे आपातकाल लागू कर सकते हैं और लोगों के सारे अधिकारों को छीन सकते हैं।

हाल के दिनों में यू.ए.पी.ए. के तहत लोगों का मनमाने तरीके से गिरफ़्तार किया जाना संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, और न ही 2020 में लागू किये गए किसान–विरोधी और मज़दूर–विरोधी कानून।

संविधान मज़दूरों और किसानों के अधिकारों की हिफ़ाज़त नहीं करता है। संविधान मानव अधिकारों, जनवादी अधिकारों, राष्ट्रीय अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अलंघनीय नहीं मानता है। ऐतिहासिक अनुभव यही दिखाता है कि यह संविधान टाटा, अम्बानी, बिरला, अदानी और अन्य इजारेदार पूंजीवादी घरानों के अधिकतम निजी मुनाफ़ों को बनाये रखने के लिए, मज़दूरों का शोषण करने, किसानों व जनजातियों को लूटने तथा हमारी भूमि व प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने के उनके निरंकुश "अधिकार" की ही हिफ़ाज़त करता है।

वर्तमान राज्य, उसके संविधान और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की हिफ़ाज़त करके मज़दूरों और किसानों का कोई भला नहीं हो सकता है। हमारे हित में यह है कि वर्तमान पूंजीवादी हुक्मशाही की जगह पर मज़दूरों और किसानों की हुकूमत के नए राज्य की स्थापना की जाये।

संविधान की प्रस्तावना में सुन्दर–सुन्दर शब्द लिखे गए हैं जिनका हक़ीक़त से कोई संबंध नहीं है। हिन्दोस्तानी गणराज्य जो भी होने का दावा करता है, वास्तव में ठीक उसका उल्टा है। इसे समाजवादी गणराज्य कहा जाता है जबकि वास्तव में यह पूंजीवाद को विकसित करने और हिन्दोस्तान को एक साम्राज्यवादी ताक़त में तब्दील करने का साधन है। इसे जनवादी गणराज्य कहा जाता है जबकि यह वास्तव में इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में मुट्ठीभर शोषकों का क्रूर अधिनायकत्व है। इसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा जाता है जबकि वास्तव में यह उपनिवेशवाद की विरासत और 'बांटो व राज करो' के असूल को बरकरार रखने का साधन है।

संक्षेप में, आपातकाल और उसके बाद की सभी राजनीतिक गतिविधियों से सबसे अहम सबक यह है कि वर्तमान राज्य, उसके संविधान और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की हिफ़ाज़त करके मज़दूरों और किसानों का कोई भला नहीं हो सकता है। हमारे हित में यह है कि वर्तमान पूंजीवादी हुक्मशाही की जगह पर मज़दूरों और किसानों की हुकूमत के नए राज्य की स्थापना की जाये। ऐसा करके ही अर्थव्यवस्था को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलाया जा सकता है। ऐसा करके ही सबके लिए सुख–सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

हमें हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को मुख्य आत्मगत ताक़त, श्रमजीवी वर्ग के हिरावल दस्ते के रूप में मजबूत करना होगा। मार्क्सवाद–लेनिनवाद के मौलिक सिद्धांतों पर अडिग रहकर, कम्युनिस्ट आन्दोलन इस समय के ठोस कार्यों के इर्द–गिर्द मज़दूरों, किसानों और व्यापक जनसमुदाय को एकजुट करने में सक्षम होगा। ये ठोस कार्य हैं – उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम को फ़ौरन ख़त्म करना; मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करना; जनवादी, उपनिवेशवाद–विरोधी, सामंतवाद–विरोधी और साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष की सम्पूर्ण जीत की शर्त बतौर पूंजीवाद का तख्तापलट करना; और, क्रांति के ज़रिये समाजवाद की स्थापना करना।

http://hindi.cgpi.org/21067

लेनिन की 151वीं जयंती के अवसर पर ...

पृष्ठ 4 का शेष

का एक रूप स्थापित किया जिसे पेरिस कम्यून कहा जाता है। भले ही पेरिस के मज़दूर लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सके, लेकिन उनके बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव ने क्रांतिकारी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मार्क्स और एंगेल्स ने इस अनुभव के आधार पर एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निष्कर्ष निकाला कि श्रमजीवी वर्ग, बनी–बनाई पूंजीवादी राज्य मशीनरी पर कब्ज़ा करके इसका उपयोग अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नहीं कर सकता। श्रमजीवी वर्ग को पूंजीवादी राज्य को ध्वस्त करके, एक नई राज्य सत्ता का निर्माण करना होगा जो राज्य मेहनतकश लोगों के शासन करने के लिए एक तंत्र बतौर होगा। लेनिन ने मार्क्सवाद के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की रक्षा करने और उसे हक़ीक़त में अमल में लाने के लिये बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किया।

बोल्शेविक पार्टी ने उस संस्था का पोषण और विकास किया, जिसको क्रांतिकारी जनता ने 1905 में जन्म दिया था और जिसका नाम है – मज़दूरों के प्रतिनिधियों की सोवियतें। मज़दूरों के प्रतिनिधियों की सोवियतें औद्योगिक मज़दूरों के लोकप्रिय राजनीतिक संगठन का एक रूप थीं। ये मज़दूर वर्ग के आज़माए और परखे हुए लड़ाकू प्रतिनिधियों की एक परिषद थी, जो अपने साथियों के बीच से ही खुद मज़दूरों द्वारा चुनी जाती थी। सोवियत संगठन की यह परिकल्पना, मज़दूरों के दिमाग में बस गयी थी और फरवरी 1917 में रूस के ज़ार की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारी विद्रोह के दौरान फिर से अमल में लाई गयी थी।

1917 में फरवरी के विद्रोह के बाद, बोल्शेविकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में मज़दूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों को मजबूत करने के काम में अपना योगदान दिया। उन्होंने आम जनता को समझाने के लिए सोवियतों के मंच का इस्तेमाल किया और उन्हें समझाया कि उनकी कोई भी ज्वलंत समस्या अंतरिम पूंजीवादी सरकार द्वारा हल नहीं की जाएगी जो सरकार ज़ार के शासन की जगह लाई गयी थी। शांति, ज़मीन और रोटी की गारंटी के लिए, मज़दूर–किसान गठबंधन को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेना बहुत ज़रूरी है। फरवरी और अक्तूबर के बीच किए गए लगातार प्रयासों से बोल्शेविक पार्टी ने "सोवियतों के हाथों में सत्ता!" के आह्वान के लिये व्यापक leFku thrk।

अक्तूबर क्रांति का मार्ग श्रमजीवी वर्ग द्वारा संघर्षरत किसानों और अन्य उत्पीड़ित तबके को लामबंध करके पूंजीपति वर्ग के अधिनायकत्व को उखाड़ फेंकने और श्रमजीवी वर्ग की हुक्मशाही के तहत, समाजवादी व्यवस्था का निर्माण, हिन्दोस्तान में और विश्व स्तर पर समाज के सामने मौजूद सभी समस्याओं का एकमात्र सही समाधान है।

अक्तूबर क्रांति के बाद, सोवियतें श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व का तंत्र बन गईं। उन्होंने मज़दूरों, किसानों और सैनिकों को समाज के सामने अपने एजेंडे को स्थापित करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एक तंत्र प्रदान किया। पूंजीवादी लोकतंत्र से कहीं बेहतर व्यवस्था के रूप में सोवियत लोकतंत्र उभरा – उदाहरण के तौर पर, सार्वजनिक निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी, सोवियत लोकतंत्र में पूंजीवादी लोकतंत्र से कई गुना ज्यादा थी। समाजवाद एक बेहतर व्यवस्था के रूप में उभरा, जिसमें उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, मेहनत करके जीना चाहते हैं उनके लिए यह संभव था कि बिना किसी शोषण, उत्पीड़न या भेदभाव के वे अपने श्रम के फल का आनंद भी ले सकें। इस नई राज्य और आर्थिक व्यवस्था ने दुनियाभर का ध्यान उस समय आकर्षित किया जब पूंजीवाद एक गहरी मंदी में फंस गया था।

लेनिनवाद

1924 में लेनिन के निधन के बाद, लेनिनवाद को बोल्शेविक पार्टी द्वारा एक मूल्यांकन के रूप में पेश किया गया था। यह साम्राज्यवाद, जो पूंजीवाद का उच्चतम और अंतिम अवस्था है, इसके विश्लेषण, साम्राज्यवाद की स्थितियों में श्रमजीवी वर्ग के संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए मार्क्सवाद को लागू करने के अनुभव, तथा अक्तूबर क्रांति सोवियत लोकतंत्र व समाजवाद के निर्माण के अनुभव पर आधारित था। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी इस मूल्यांकन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मार्क्सवाद का विज्ञान और भी विकसित हुआ है लेनिनवाद में।

लेनिनवाद को साम्राज्यवाद और श्रमजीवी क्रांति के युग के मार्क्सवाद के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सामान्य रूप से श्रमजीवी क्रांति का सिद्धांत और रणनीति है तथा विशेष रूप से श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व का सिद्धांत और रणनीति है।

साम्राज्यवाद का विरोध करने के इच्छुक और श्रमजीवी वर्ग व उत्पीड़ित लोगों के शोषण और दमन से मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले साथियों के लिए लेनिनवाद का सिद्धांत और अभ्यास अनिवार्य है। अक्तूबर क्रांति का मार्ग श्रमजीवी वर्ग द्वारा संघर्षरत किसानों और अन्य उत्पीड़ित तबके को लामबंध करके पूंजीपति वर्ग के अधिनायकत्व को उखाड़ फेंकने और श्रमजीवी वर्ग की हुक्मशाही के तहत, समाजवादी व्यवस्था का निर्माण, हिन्दोस्तान में और विश्व स्तर पर समाज के सामने मौजूद सभी समस्याओं का एकमात्र सही समाधान है।

http://hindi.cgpi.org/20806

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण का विरोध करें!

कामगार एकता कमेटी द्वारा आयोजित "निजीकरण के ख़िलाफ़ एकजुट हों!" श्रृंखला की 12वीं सभा

कामगार एकता कमेटी (के.ई.सी.) ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के निजीकरण के विरोध में 30 मई, 2021 को एक जनसभा आयोजित की। इसमें स्टील, रेलवे, बीमा, बंदरगाह और गोदी (डॉक), बिजली, पेट्रोलियम, बी.एस.एन.एल. और अन्य क्षत्रों के लगभग 300 नेताओं और प्रतिभागियों ने भाग लिया। सितंबर 2020 में शुरू हुई श्रृंखला – "निजीकरण के ख़िलाफ़ एकजुट हों!" – की यह 12वीं बैठक थी। पिछली बैठकें रेलवे, बैंकों, बीमा, कोयला, पेट्रोलियम, बंदरगाह और डॉक, शिक्षा और बिजली वितरण के निजीकरण से संबंधित थीं।

के.ई.सी. के सचिव कामरेड मैथ्यू ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बताया कि इन वेबिनार के माध्यम से के.ई.सी. निजीकरण के ख़िलाफ़ आम संघर्ष के इर्द–गिर्द एकता बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्रीय महामारी कोविड के समय पर मिल रहे हैं, जब केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण हमारे लोग पूरी तरह से तबाह हो गये हैं। स्टील, बिजली, स्वास्थ्य से जुड़े हजारों फ्रंटलाइन वर्कर, रेलवे, बैंक, बीमा और कोयला आदि क्षेत्रों के मज़दूर बीमार पड़ गए हैं और संक्रमित होकर मारे गए हैं। लेकिन इन क्षेत्रों के श्रमिकों ने इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए हिन्दोस्तानी लोगों की सेवा करना जारी रखा है।

इसके बाद कामरेड मैथ्यू ने आमंत्रित वक्ताओं – विशाखा उक्कू परिक्षण पोराटा समिति के अध्यक्ष कॉमरेड चौ. नरसिंह राव, सीटू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड. जे. अयोध्याराम, विशाखा उक्कू परिक्षण पोराटा समिति (वी.यू.पी.पी.सी.) के संयोजक और स्टील प्लांट कर्मचारी संघ (सीटू) के अध्यक्ष, श्री राजशेखर मंत्री, विशाखा स्टील कर्मचारी कांग्रेस (इंटक) के महासचिव और इंटक एपी राज्य समिति के उपाध्यक्ष कामरेड डी. आदिनारायण, विशाखा स्टील वर्कर्स यूनियन (ए.आई.टी.यू.सी.) के अध्यक्ष डाक्टर पी. सत्यनारायण, आर.आई.एन.एल. की स्टील एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन के महासचिव तथा संचार एवं पत्रकारिता विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व एमएलसी प्रोफेसर के. नागेश्वर, आंध्र विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और द्रविड़ विश्वविद्यालय, कुप्पम, आंध्र प्रदेश के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के.एस. चलम, स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीटू) के महासचिव कामरेड ललित मिश्रा और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समन्वय समिति, तेलंगाना के कामरेड एम. साईबाबू का स्वागत किया।

कामरेड मैथ्यू ने वेबिनार में भाग लेने वाले रेलवे, विद्युत, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोलियम, बंदरगाह व अन्य क्षेत्रों के विभिन्न अखिल भारतीय फेडरेशनों और एसोसिएशनों के बड़ी संख्या में उपस्थित राष्ट्रीय नेताओं का भी स्वागत किया ।

सभा में पहली प्रस्तुति के.ई.सी. के कामरेड अशोक ने की, उन्होंने हिन्दोस्तान में इस्पात क्षेत्र की पृष्ठभूमि बताई और हिन्दोस्तान में मज़दूर वर्ग के आगे के

कार्यों के बारे में के.ई.सी. के विचारों को पेश किया।

प्रस्तुति के बाद आमंत्रित वक्ताओं ने भाषण दिए। विशाखा उक्कू परिक्षण पोराटा समिति (वी.यू.पी.पी.सी.) के अध्यक्ष तथा सीटू की ए.पी. राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड नरसिंह राव ने बताया कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति की घोषणा और आर.आई.एन.एल. में इस्पात उत्पादन, दोनों की शुरुआत 1991 में हुई और तबसे ही शासक वर्ग और सभी केंद्र सरकारें आर.आई.एन.एल. का विभिन्न तरीक़ों से निजीकरण करने की कोशिश कर रही हैं। दो दशकों से अधिक समय से शासक वर्ग के सभी प्रयासों के बावजूद, आर.आई.एन.एल. मज़दूरों और आंध्र प्रदेश के लोगों के एकजुट विरोध के कारण यह सफल नहीं हो सका। आर.आई.एन.एल. मज़दूरों को विश्वास है कि वे जीत कर रहेंगे!

स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीटू) के महासचिव कामरेड ललित मिश्रा ने बताया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की विभिन्न इकाइयों के निजीकरण के प्रयास भी कई वर्षों से चल रहे हैं। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में अलॉय स्टील प्लांट (ए.एस.पी.), सेलम तमिलनाडु में सेलम स्टील प्लांट (एस.एस.पी.) और भद्रावती, कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी.आई.एस.पी.) की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इसके विरोध में स्टील मज़दूरों की पूरी कार्यशक्ति एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गई है। मज़दूरों ने दृढ़ संकल्प किया है कि वे किसी भी निजी खिलाड़ी को इस्पात संयंत्रों पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे।

कई वक्ताओं ने आर.आई.एन.एल. की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने देश और आंध्र प्रदेश (ए.पी.) के लिए इसके महत्व की ओर ध्यान दिलाया। यह दक्षिणी हिन्दोस्तान में एकमात्र एकीकृत इस्पात संयंत्र है और देश में समुद्री तट पर स्थित एकमात्र इस्पात संयंत्र भी है। लाखों लोग आर.आई.एन.एल. पर निर्भर हैं।

केंद्र सरकार 1990 के दशक से आर.आई.एन.एल. का निजीकरण करने और इसके निजीकरण को सही ठहराने के लिए इसे घाटे में चल रहे संयंत्र में बदलने की कोशिश कर रही है।

हिन्दोस्तानी सरकार ने आर.आई.एन.एल. की स्थापना के लिए अब तक केवल 4,900 करोड़ रुपये खर्च किये हैं; निगम ने लाभांश और करों के रूप में 45,000 करोड़ रुपये से अधिक केंद्र सरकार को वापस कर दिये हैं तथा राज्य सरकार को 9,000 करोड़ रुपये दिये हैं। जब इसकी उत्पादन क्षमता को 30 लाख टन सालाना से बढ़ाकर 73 लाख टन सालाना किया गया तो केंद्र सरकार ने इसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया।

आर.आई.एन.एल. को अपने अस्तित्व के इतने वर्षों के बाद भी कोई लौह खनिज की खदान आवंटित नहीं की गई है, जिस पर उनका ही कब्ज़ा हो। सार्वजनिक क्षेत्र का यह एकमात्र इस्पात संयंत्र है जिसके कब्ज़े में कोई खदान नहीं है। दूसरी ओर, एन.एम.डी.सी. (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) बाज़ार दर पर आर.आई.एन.एल. को लौह खनिज की आपूर्ति कर रहा है।

गंगावरम बंदरगाह को स्टील प्लांट की सेवा के लिए आर.आई.एन.एल. की ज़मीन पर बनाया गया था। लेकिन अब इस बंदरगाह को अडानी को सौंप दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, आर.आई.एन.एल. ने समुद्र के किनारे का संयंत्र होने का अपना रणनैतिक लाभ खो दिया है।

यदि आर.आई.एन.एल. का निजीकरण किया जाता है, तो सरकार को कर (टैक्स) के लाभांश आदि के रूप में होने वाली आय बंद हो जाएगी। निजी मालिक अधिकतम लाभ के अपने लालच से ही प्ररित होंगे। सरकार आर.आई.एन.एल. को दक्षिण कोरियाई समूह, पोस्को को सौंपना चाहती है। पोस्को अपनी मज़दूर–विरोधी नीतियों के लिए कुख्यात है।

कई वक्ताओं ने आर.आई.एन.एल. के निजीकरण की बार–बार कोशिशों के ख़िलाफ़ मज़दूरों की बहादुर लड़ाई के बारे में बताया। जब 27 जनवरी, 2021 को यह घोषित किया गया कि आर.आई.एन.एल. का निजीकरण किया जाएगा, तो अधिकारियों और अनुबंध मज़दूरों सहित सभी यूनियनों ने विशाखा उक्कू परिक्षण पोराटा समिति (वी.यू.पी.पी.सी.) का गठन किया और विभिन्न विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। वी.यू.पी.पी.सी. ने हजारों लोगों को संगठित करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए। आर.आई.एन.एल. के गेट के सामने पिछले 108 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है। पिछले 60 दिनों से ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर–निगम (जी.वी.एम.सी.) के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। वी.यू.पी.पी.सी. ने किसानों और मज़दूरों की एकजुटता बनाने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित किया है। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ किसान आंदोलन ने भी इस संघर्ष में भाग लिया है। आर.आई.एन.एल. के कार्यकर्ताओं को देश के कोने–कोने से समर्थन मिला है।

नेताओं ने घोषणा की कि जब तक सरकार आर.आई.एन.एल. के निजीकरण के अपने फ़ैसले को वापस नहीं लेती, तब तक सभी यूनियनें अपना आंदोलन को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे अपनी एकजुट कार्रवाई और लोगों के समर्थन से निजीकरण के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जीतने के लिए आश्वस्त हैं। उन्होंने इस लड़ाई में अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों से एकजुट होने का आग्रह किया है।

कई नेताओं ने वेबिनार आयोजित करने के लिए के.ई.सी. की सराहना की जो आर.आई.एन.एल. में चल रहे संघर्ष के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों की एकता और एकजुटता के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। आर.आई.एन.एल. के संघर्ष का अब तक का अनुभव उन लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण है जो पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह प्रेरणादायक है कि कैसे वे सभी यूनियनों को लामबंध कर सकते हैं और साथ ही आंध्र प्रदेश के लोगों का समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के संघर्षों और भागीदारी से ही सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा की जा सकती है। ट्रेड यूनियनों को लोगों से बात करनी चाहिए और उन्हें निजीकरण–विरोधी संघर्षों में शामिल करना चाहिए, जैसा कि आर.आई.एन.एल. ने किया है। इस वेबिनार ने इस संघर्ष को सर्व हिन्द संघर्ष तक विस्तारित करने में मदद की है और कई वक्ताओं ने इसके लिए के.ई.सी. को धन्यवाद दिया। वे इस बात पर सहमत थे कि मज़दूरों, किसानों और आम लोगों को निजीकरण के ख़िलाफ़ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा।

रेलवे, बिजली, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड और अन्य क्षेत्रों के कई नेताओं ने भी निजीकरण के ख़िलाफ़ हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग को एकजुट करने के लिए इस वेबिनार श्रृंखला में के.ई.सी. द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और अपनी बातों को रखा।

अंत में कॉमरेड मैथ्यू ने घोषणा की कि इस श्रृंखला में अगले दो वेबिनार बी.एस.एन.एल. और हिन्दोस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण पर होंगे।

मीटिंग की विस्तृत रिपोर्ट के लिए देखिये http://hindi.cgpi.org/21035

मज़दूर एकता लहर व लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
के अन्य प्रकाशनों को
खरीदने के लिये भुगतान
पेटीएम, गूगल–पे व फोन–पे
से कर सकते हैं। कृपया नीचे दिये क्यू आर कोड को पेमेंट एप से स्कैन करके पैसे भेजें और हमारे वॉट्सएप नंबर 9868811998 पर विस्तृत सूचना दें।

भाग 4 – रेल का निजीकरण

रेलवे के निजीकरण का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

दुनिया के विभिन्न देशों में रेलवे के निजीकरण के अध्ययन से पता चलता है कि इसका लाभ केवल इजारेदार पूंजीपतियों को ही मिला है। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। (ब्रिटेन, जापान, मलेशिया, लैटिन अमरीका, अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको के बारे में बॉक्स देखें)।

रेलवे के निजीकरण ने इन इजारेदार पूंजीपतियों को जनता के पैसे से निर्मित विशाल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने की सुविधाएं दीं। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह भी दर्शाता है कि पूंजीपति निजी रेल सेवाएं तभी तक चलाते हैं, जब तक वे इसके द्वारा अधिकतम मुनाफ़ा बना सकते हैं। यदि रेल परिचालन से अपेक्षित मुनाफ़े की दर उन्हें नहीं मिलती है, तो पूंजीपति अपनी सरकार से कहते हैं कि वह उन्हें उबारे। इतने सारे देशों के अनुभव से पता चलता है कि निजीकरण के बाद, निजी मालिक रेल के नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में बहुत कम पूंजी–निवेश करते हैं।

उन देशों की सरकारों द्वारा निजी संचालकों को सब्सिडी का भुगतान किये जाने के बावजूद, रेलवे के निजीकरण से रेल किराए में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इससे गैर–लाभकारी मार्ग बंद हो गए हैं। निजी संचालकों ने मनमाने किराए निर्धारित करने की खुली छूट का सहारा लेकर अपने मुनाफ़े में और अधिक वृद्धि की है, इसका मतलब है कि निजी संचालकों द्वारा यात्रा के सबसे व्यस्ततम समय के दौरान, सबसे अधिक किराया वसूला जाता है, क्योंकि उस समय पर अधिकांश कामकाजी लोगों को काम करने की अपनी जगह तक यात्रा करने या वहां से घर लौटने के लिए रेल से यात्रा करने की ज़रूरत होती है। ज्यादातर जगहों परं देखा गया है कि निजीकरण के तुरंत बाद, कम लाभ वाले मार्गों पर रेल सेवा को बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों के लिए सेवाओं में गंभीर गिरावट आई। अधिकांश कटौती यात्रियों को दी जाने सुविधाओं में की गई थी। बड़ी संख्या में कम यातायात वाले रेल मार्ग बंद होने से माल सेवाओं में भी कटौती देखी गई।

निजीकरण के तुरंत बाद, मज़दूरों की संख्या में तेज़ी से कमी आती देखी गयी है और लागत में कटौती करने के लिए बड़े पैमाने पर, ठेका मज़दूरों और अप्रशिक्षित मज़दूरों का सहारा लिया गया।

रेल–सुरक्षा में गिरावट देखी गई क्योंकि लागत में कटौती करने के लिए रखरखाव की उपेक्षा की गई। बुनियादी ढांचे पर नया खर्च करने से बचने के लिए, पुराने बुनियादी ढांचे को समय पर नहीं बदला गया। मज़दूरों पर काम का अत्याधिक बोझ डालने का सुरक्षा पर बुरा प्रभाव भी देखा गया। अर्जेंटीना में रेलवे के निजीकरण के बाद, दुर्घटनाओं का तांता लग गया, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों लोगों की जानें चली गईं – लोगों ने बड़े पैमाने पर निजीकरण के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किये। इस प्रकार उन प्रदर्शनों ने, उस देश की सरकार को रेलवे के पुनर्राष्ट्रीयकरण के लिए मजबूर कर दिया।

ब्रिटिश रेल में भी निजीकरण के बाद दुर्घटनाओं में वृद्धि हो गई। पैसे बचाने के लिए कई अप्रशिक्षित मज़दूरों को अस्थायी अनुबंध (ठेके) पर रखा गया था।

राज्य के स्वामित्व वाली रेलवे के निगमीकरण को उचित ठहराने के लिये यह दावा किया गया कि सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रांस और स्विटजरलैंड का अनुभव बताता है कि यह सच नहीं है। (निगमीकरण के बाद सरकारी सहायता के बारे में बॉक्स देखें)।

इन देशों की सरकारों ने निजी कंपनियों की मांग मान ली कि पूंजीपतियों के निवेश पर उन्हें सुनिश्चित मुनाफ़े का आश्वासन दिया जाये। भले ही किराए में बढ़ोतरी न की गई हो लेकिन यह देखा गया कि पूंजीपतियों की जेब, जनता के पैसे से भरी जा रही है।

विफल हुआ ब्रिटिश रेल का निजीकरण

रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर और सस्ती सेवा के वादे के साथ, 1993 के रेलवे अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश रेल का निजीकरण किया गया था। ब्रिटिश रेल को दर्जनों कंपनियों में बांट दिया गया और इसका निजीकरण कर दिया गया। देशभर में लगभग 25 निजी कंपनियों ने यात्री ट्रेनों का संचालन किया और छह कंपनियों ने मालगाड़ियां चलाईं। रेलवे के बुनियादी ढांचे जैसे ट्रैक, सिग्नलिंग और स्टेशनों का रखरखाव, रेलट्रैक नामक निजी कंपनी द्वारा किया जाता था।

रेलट्रैक ने रेलवे के बुनियादी ढांचे का रखरखाव करने के लिये, अपने मुनाफ़े से कोई पुनर्निवेश नहीं किया, जिससे पटरियां ख़राब हो गईं और परिणामस्वरूप बहुत–सी रेल दुर्घटनाएं हुईं। इसके बावजूद, रेलट्रैक को 2001 में बड़ी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और एक नई सरकारी–स्वामित्व वाली कंपनी नेटवर्क रेल को 2004 में रखरखाव और नवीनीकरण का कार्यभार संभालना पड़ा।

निजीकरण के 25 वर्षों के बाद, इंग्लैंड में रेल सेवाओं का अब व्यवहार में पुनर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। जब 2020 में महामारी के कारण यात्रियों की संख्या कम हो गयी और घाटा बढ़ गया, तब सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 से सभी निजी रेल कंपनियों के घाटे को अपने ऊपर ले लिया। रेल कंपनियों को अब सरकारी रिकॉर्ड में "सार्वजनिक गैर–वित्तीय निगम" माना जाता है।

2020 में महामारी के फैलने से पहले ही निजी कंपनियों ने कई मार्गों पर अपना संचालन जारी रखने से इनकार कर दिया था और उन्होंने इन मार्गों को संचालन वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया था।

ब्रिटिश सरकार को जून 2020 में ब्रिटिश रेलवे के भविष्य की समीक्षा के लिए, एक कमेटी का गठन करना पड़ा क्योंकि लोग बड़ी संख्या में पुनर्राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे थे। हाल ही में ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह से पता चला है कि 75 प्रतिशत लोग ब्रिटिश रेलवे के पुनः राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे।

हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने 20 मई, 2021 को एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें समीक्षा के आधार पर रेलवे के लिए एक योजना प्रस्तुत की गयी है। यह योजना 90 के दशक की निजीकृत रेलवे प्रणाली को ख़त्म करके, कई मायनों में निजीकरण से पहले की कार्य प्रणाली को वापस लाने की सिफारिश करती है और इस तरह एक बार फिर पटरियों, गाड़ियों, किराए और टिकटिंग को एक ही सार्वजनिक निकाय के तहत

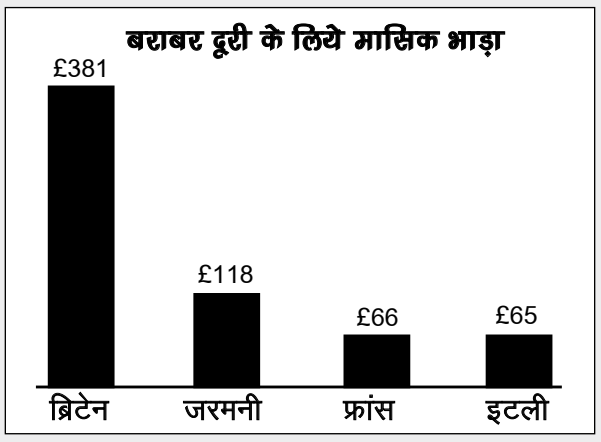

लाने की योजना प्रस्तुत करती है, जो 2023 से अमल में आएगी। उम्मीद की जा रही है कि निजी संचालकों को ट्रेनों के संचालन के ठेके दिए जायेंगे। नया मॉडल एक "ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट" की तरह होगा, जहां निजी संचालक को शुल्क मिलेगा और राजस्व के कुछ हिस्से को और देकर, उन्हें और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

रेल निजीकरण मंत्री ने 1993 में घोषणा की थी कि "मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि निजीकरण के तहत, किराए में तेज़ी से वृद्धि होगी। कई स्थानों पर वे अधिक लचीले होंगे और कम हो जाएंगे।" इसके विपरीत हक़ीक़त यह है कि ब्रिटेन में निजीकरण के बाद रेल सेवाएं और महंगी हो गईं। 1995 और 2015 के बीच, यात्री किराए में औसतन 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कई मार्गों पर तो 200 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि देखने में आयी।

ब्रिटेन में मासिक सीजन टिकटों की क़ीमत, फ्रांस और इटली की तुलना में, पांच गुना अधिक और जर्मनी की तुलना में तीन गुना अधिक है। ब्रिटेन में रेल यात्रा, अधिक आरामदायक और कुशल होने की बजाय, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन में मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वामित्व वाली रेल सेवाओं की तुलना में धीमी और अधिक भीड़भाड़ वाली है।

रेलवे के लिये सरकार की सब्सिडी

1985 से लेकर 2017 तक ब्रिटेन के रेलवे उद्योग में वार्षिक सरकारी सब्सिडी (वित्त वर्ष 2017/18 की कीमतों पर)

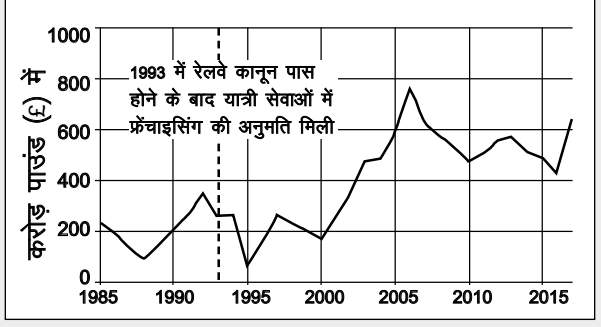

निजी कंपनियों ने नई पूंजी का निवेश बहुत कम किया है। हाल के वर्षों में रेलवे में किये गए नए निवेश का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा, करदाता के पैसे से या सरकार द्वारा गारंटीकृत उधार से आया है।

पूंजीपतियों को ब्रिटिश राज्य से वित्तीय सहायता मिलती रही। अनुबंधों के तहत, निजी संचालकों को विभिन्न कारणों से मुआवज़ा देना सरकार के लिए आवश्यक था। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो सरकार के स्वामित्व वाली नेटवर्क रेल को निजी कंपनी को मुआवज़ा देना पड़ता है। यदि सरकार ने एक नई ट्रेन चलाने के लिए कहा गया और यातायात एक निर्दिष्ट स्तर से नीचे पाया गया, तो सरकार को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है।

रेल सब्सिडी वास्तव में 1992–93 में 270 करोड़ पाउंड से बढ़कर 2018–19 में 730 करोड़ हो गई। 2013–14 में सरकार ने निजी रेल कंपनियों को 380 करोड़ पाउंड दिये। यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की सरकार ने 2016–2017 में राष्ट्रीय रेल को 420 करोड़ पाउंड की सब्सिडी दी और यूनाइटेड किंगडम की रेल के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने वाली सार्वजनिक संस्था नेटवर्क रेल को 570 करोड़ पाउंड का ऋण दिया।

2007 और 2011 के बीच, केवल पांच कंपनियों को सरकार से लगभग 300 करोड़ पाउंड प्राप्त हुए। इस भुगतान के बल–बूते पर, उन्होंने 50.4 करोड़ पाउंड के मुनाफ़े की घोषणा की और इसका 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 46.6 करोड़ पाउंड शेयरधारकों को भुगतान किया गया। इस प्रकार, पूंजीपतियों का पूरा मुनाफ़ा और आय, जिसका डिविडेंड के रूप में भुगतान किया गया, वह हक़ीक़त में सभी बर्तानवी लोगों की जेब से ही आया था।

ब्रिटेन के लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश रेल के निजीकरण की भारी क़ीमत चुकाई है। वे बहुत खराब–गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए पहले से भी बहुत अधिक किराए का भुगतान करते हैं। पूंजीपतियों को उनका मुनाफ़ा सुनिश्चित करने के लिए हर साल जनता का पैसा दिया जाता है। जब भी निजी रेल कंपनियों को नुकसान होता है, वे रेल सेवाओं के पुनर्राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार को बाध्य करती हैं; निजी कंपनियों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती है। पूंजीपतियों के मुनाफ़े निश्चित करने के लिए, कुछ मार्गों के निजीकरण, पुनर्राष्ट्रीयकरण और पुनर्निजीकरण का चक्र, कई बार दोहराया गया है। देश के इस चक्र की बढ़ती लागत लोगों को चुकानी पड़ती है, जबकि पूंजीपति और भी अमीर होते जाते हैं।

जब भी निजी संचालक संकट में आये और उन्हें घाटा होने लगा तो उन्होंने तुरंत यात्रा सेवाओं की आपूर्ति को जारी रखने में असमर्थता प्रकट की और इस प्रकार, सरकारें उन्हें आर्थिक मदद देकर या उनका पुनर्राष्ट्रीयकरण करके उन्हें घाटे से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो गईं। इस प्रकार हक़ीक़त में रेल कंपनियों के निजी मालिकों का घाटा सरकारों को ही वहन करना पड़ता है जबकि मुनाफ़ा मालिकों की जेब में जाता है!

एक भ्रम फैलाया गया है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, लोगों को कुशल, उच्च गुणवत्ता वाली रेल सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं। सरकार के स्वामित्व वाली स्विस फेडरल रेलवे (एस.बी.बी.) को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रेल सेवाओं में से एक माना जाता है। रूस और चीन में, जिन देशों में दुनिया की दो सबसे बड़ी रेल सेवाओं के उद्यम हैं, दोनों ही राज्य के स्वामित्व वाले हैं। यूरोप में अधिकांश रेलवे सेवायें, उनके निगमीकरण के बावजूद मुख्य रूप से सरकारी स्वामित्व में हैं।

विश्व प्रसिद्ध मॉस्को मेट्रो और उसके स्टेशन, तत्कालीन सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य (यू.एस.एस.आर.) द्वारा 1920–30 के दशक में बनाए गए थे, और वे आज भी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं और अभी भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रेल सेवाओं में से एक माने जाते हैं। 1930 और 1940 के दशक में समाजवादी सोवियत संघ के निर्माण में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। (सोवियत संघ में रेलवे पर बॉक्स देखें)

कुल मिलाकर, निजीकरण–निगमीकरण के द्वारा उपभोक्ताओं और समाज का भला हो सकता है, हक़ीक़त में यह दावा कहीं भी सच साबित नहीं हो सका है। इसके विपरीत, निजीकरण के बाद ऐसा देखने में आया है कि रेल सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। रेलवे के निजीकरण के हर एक उदाहरण में यह स्पष्ट देखने में आया है कि मज़दूरों का काफी नुकसान होना निश्चित है। कई मामलों में, निजीकरण के बाद रेलवे को फिर से सक्षम बनाने के लिए सरकार को रेल बजट में वृद्धि करनी पड़ी है। रेलवे, जो कि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाला एक साधन है, एक बार जब वह निजी हाथों में चला जाता है तो जनता को सुरक्षित और किफ़ायती दामों पर परिवहन का साधन प्रदान करने की सार्वजनिक हित की सेवा मिलनी बंद हो जाती है। यह इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े बनाने के लालच को पूरा करने का एक साधन बन जाता है।

http://hindi.cgpi.org/21025

जापान

जापान में रेलवे का निजीकरण 1987 में किया गया था और निजीकरण के दावेदार, इसके द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं। जापान नेशनल रेलवे को छह क्षेत्रीय रेल कंपनियों और एक माल ढुलाई कंपनी में बांटकर निजीकरण किया गया था। निजीकरण के बाद, निजी रेल संचालकों को कॉमर्शियल और रियल एस्टेट–व्यवसायों में प्रवेश करने की भी अनुमति दी गई। आज कुछ निजी ऑपरेटरों के लिए, गैर–परिवहन राजस्व उनके कुल राजस्व का 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत हिस्सा हैं! इसका मतलब है कि रेलवे कंपनियां शॉपिंग सेंटर, रेस्तरां और होटल चला रही हैं।

निजीकरण के दावेदार इस हक़ीक़त को छिपाते हैं कि जापान के लोग आज भी रेल के निजीकरण की क़ीमत चुका रहे हैं। जापान नेशनल रेलवे ने पहली बार निजी कंपनियों को सौंपने से पहले, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सार्वजनिक धन का उपयोग करके एक आधुनिक रेल ढांचे का निर्माण किया था। इसमें मशहूर शिंकानजेन (बुलेट ट्रेन) चलाने के लिए पूरी तरह से नई रेल लाइनों के साथ–साथ, सिग्नलिंग और संचार प्रणाली भी शामिल थी। आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा भारी ऋण लिया गया था लेकिन ऋण चुकाने की ज़िम्मेदारी, निजीकरण के बाद भी जापानी सरकार के पास ही रही!

निजीकरण के 30 साल से अधिक समय के बाद भी, नए शिंकानजेन मार्गों के लिए रेल लाइनें सरकारी धन से बनाई जा रही हैं और जो निजी कंपनियों को इस्तेमाल के लिए सौंपी जा रही हैं!!

इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि जापान में, तथाकथित सफल रेल निजीकरण हक़ीक़त में, आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक धन के निरंतर उपयोग और फिर इसे निजी मुनाफ़े अर्जित करने के लिए पूंजीपतियों को सौंपने के मॉडल पर आधारित है।

अर्जेंटीना में रेल के निजीकरण को उलटा गया

अर्जेंटीना के रेल नेटवर्क को तीन भागों में विभाजित किया गया था – माल ढुलाई, अंतर– शहरीय यात्रा और मेट्रो यात्री रेल सेवा (अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के लिए)। 1948 में राष्ट्रीयकरण के बाद, पुराने निजी–ढांचे के समान माल ढुलाई की सेवाओं को छह क्षेत्रीय कंपनियों में विभाजित किया गया था। 1996 में 30 साल के पट्टे पर उनका निजीकरण किया गया पर अचल संपत्ति जैसे ट्रैक, स्टेशन और रोलिंग स्टॉक राज्य की मिलिकी में रहे। इनको ठेके के तहत निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया गया था। अनुबंधों में यात्री सेवाओं के लिए भुगतान किया जाने वाला अनुदान भी शामिल था।

1993 में निजीकरण से पहले अर्जेंटीना में 47,000 कि.मी. (भारत के रेल नेटवर्क की लंबाई लगभग 68,000 कि.मी. है) का रेल नेटवर्क था। निजीकरण के तुरंत बाद, रेलवे नेटवर्क की क्षमता एक चौथाई तक कम हो गयी थी और 1998 तक लगभग 793 रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया गया था।

रेल प्रणाली के बंद होने से इस पर निर्भर अधिकांश ग्रामीण शहर खाली हो गए, शून्य बन कर रह गए और इन शहरों में हुआ विकास भी ख़तम हो गया। अर्जेंटीना के कृषि उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद की ढुलाई के लिए कम कुशल सड़क परिवहन के उपयोग के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि भाड़ा राज्य के स्वामित्व वाली रेल सेवाओं की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत अधिक था।

श्रमिकों की संख्या में भी एक बड़ी कमी नज़र आई जो कि 1989 में 94,800 से घटकर 1997 में लगभग 17,000 ही रह गई।

निजी कंपनियों ने इंजनों और रोलिंग स्टॉक में पूंजीनिवेश नहीं किया, जो क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक थे। अतः सेवा की गुणवत्ता और यात्री संख्या में गिरावट आई।

कुछ वर्षों के भीतर ही निजी संचालाकों ने संचालन–व्यय और कुछ निवेश को कवर करने के लिए अनुदान में वृद्धि की मांग की।

निजीकरण के तहत पर्याप्त सरकारी अनुदान जारी रहा ताकि रेल व्यवस्था पूर्ण रूप से तहस–नहस न हो। सिर्फ एक साल, 2011 में पूंजीपतियों को लगभग 700 मिलियन डॉलर का अनुदान मिला। गुजरे हुए वर्षों से यह देखने में आया कि निजी कंपनियों को मिलने वाला सरकारी अनुदान रेलवे के राज्य प्रबंधन के तहत होने वाले नुकसान के बराबर स्तर तक पहुंच गया, जबकि रेल सेवा सीमित ही रही और बुनियादी ढांचा अधिक ख़राब हो गया था।

पांच साल के भीतर, निजी संचालाकों ने किराए में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच वृद्धि की। इसके अलावा उन्हें अगले चार वर्षों में औसतन 80 प्रतिशत, 50 से 100 प्रतिशत के बीच, किराए में वृद्धि की अनुमति दी गई थी। अर्जेंटीना के महानगरीय यात्री, निजीकरण के दस वर्षों के भीतर उसी यात्रा के लिए पहले की तुलना में लगभग तीन गुना किराया दे रहे थे। निजीकरण ने रेल चलाने की लागत का बोझ सरकार से यात्रियों पर स्थानांतरित कर दिया।

भीड़भाड़ और सुरक्षा में कमी, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता यात्रियों की आम शिकायतें बन गईं।

निजीकरण का सबसे ज्यादा असर यात्रियों की सुरक्षा पर देखने में आया। राजधानी ब्यूनस आयर्स में, 2011 और 2012 के बीच छह महीने के भीतर ही दो बड़ी दुर्घटनाओं में 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इन दुर्घटनाओं ने लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया और वे पुनः राष्ट्रीयकरण की मांग करने लगे। इस मांग को अब और नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता था। अंततः 2015 में निजीकरण को एक नई सार्वजनिक क्षेत्र की रेल कंपनी में पूरे रेल सिस्टम का विलय करके अर्जेंटीना में रेलवे के निजीकरण को उलट दिया गया।

अर्जेंटीना में रेल के निजीकरण का अनुभव हिन्दोस्तान के लिए बहुत प्रासंगिक है। भारतीय रेल के निजीकरण के साथ ही, हमारे यहां भी बड़े पैमाने पर रेल मार्गों का बंद होना, किराए में वृद्धि के साथ–साथ यात्रियों की सुरक्षा की उपेक्षा की उम्मीद की जा सकती है।

फ्रांस

1938 में रेलवे के राष्ट्रीयकरण के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रीय रेलवे सोसाइटे नेशन्याल दे शेमे द फर फ्रांसे (एस.एन.सी.एफ.) को एक नियमित कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, जिसको सरकार से नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। 2016 में एस.एन.सी.एफ. को सरकार से 14 बिलियन यूरो अनुदान के रूप में प्राप्त हुए और 2017 में 47 बिलियन यूरो का कर्ज़ भी। सरकार ने अधिकांश ऋण का भार अपने ऊपर लेने का निर्णय लिया।

इसके अलावा एस.एन.सी.एफ. को मुख्य रेल लाइनों के नवीनीकरण के लिए 2.3 बिलियन यूरो और अधिक पुलों, अधिक निर्माण और ज्यादा से ज्यादा नवीनीकरण के लिए 1.5 बिलियन यूरो दिए गए थे।

लैटिन अमरीका में रेल के निजीकरण का अनुभव

आठ लैटिन अमरीकी देशों – अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और पेरू – ने विश्व बैंक के समर्थन और प्रभाव में 1990 के दशक में रेलवे का कुछ सीमाओं तक निजीकरण किया।

2001 में निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रमिक संघ (आई.टी.एफ.) ने एक अध्ययन किया जिसने निम्नलिखित बातों को दर्शाया :

1. निजीकरण के एक दशक से भी कम समय के भीतर ही अधिकांश निजी संचालकों ने अपेक्षा के अनुरूप लाभ न होने के कारण अनुबंधों को संशोधित करने की मांग की हालांकि यह सारे अनुबंध लंबी अवधि के लिए थे।
2. अधिकांश शहरी यात्री सेवाओं के लिए रेल किराए में वृद्धि हुई। सामान्य तौर पर यह पाया गया कि निजीकृत यात्री सेवाओं में रियायत देने के लिए अनुदान देने की ज़िम्मेदारी सरकारों की हो गयी।
3. घाटे में चल रही सेवाओं को सामाजिक रूप से आवश्यक होने पर भी बंद कर दिया गया। अंतर–शहरीय यात्री सेवाओं के साथ भी लैटिन अमरीका में यही हुआ।
4. निजी कंपनियों ने मुख्य रूप से बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती करके खर्चा कम किया तथा विश्व बैंक ने यह करने में निजी कंपनियों को मदद दी। रेलवे में प्रत्यक्ष रोज़गार साधारणतः 75 प्रतिशत कम किया गया। कुछ नए रोज़गार उत्पन्न हुए पर वे मुख्य रूप से, ठेकेदारों और उप–ठेकेदारों के माध्यम से थे।

लैटिन अमरीका के तीन बड़े देशों – ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको के अनुभव पर एक विस्तृत नज़र इस बात की पुष्टि करती है कि रेल निजीकरण मज़दूर–विरोधी, समाज–विरोधी और पूंजीपतियों के लालच को पूरा करने का साधन है।

सोवियत संघ में रेल व्यवस्था

सोवियत संघ ने औद्योगिकीकरण, देश के दूर–दराज़ के क्षेत्रों के विकास और समाजवादी समाज के निर्माण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1928 की अपनी पहली पंचवर्षीय योजना से ही रेलवे के विकास पर विशेष ध्यान दिया। प्रथम विश्व युद्ध और महान अक्तूबर क्रांति के बाद हुए गृहयुद्ध के दौरान, लगभग 80,000 किलोमीटर के रूसी रेलवे नेटवर्क की 60 प्रतिशत से अधिक रेलगाड़ियां और 80 प्रतिशत से अधिक लोकोमोटिव नष्ट हो गए थे।

उसके पश्चात, अगले बीस वर्षों के भीतर समाजवादी राज्य और उसके मज़दूरों ने न केवल नष्ट हुए रेलवे का पुनर्निर्माण किया, अपितु क्रांति–पूर्व स्तर से नेटवर्क को एक तिहाई बढ़ाकर 1,06,000 किलोमीटर कर दिया। परिवहन का सबसे अधिक ऊर्जा–दक्ष और किफ़ायती साधन होने के कारण रेल परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जिसके परिणामस्वरूप, 1940 तक 85 प्रतिशत माल (टन–कि.मी.) और 92 प्रतिशत इंटरसिटी यात्री (यात्री–कि.मी.) परिवहन रेलवे के माध्यम से किया जा रहा था।

महान देशभक्ति प्रेरित युद्ध (द्वितीय विश्व युद्ध) के दौरान फासीवादी ताक़तों को हराने में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य कर्मियों, उपकरणों और सामानों को युद्ध के मोर्चे तक ले जाने के अलावा इसने यूरोपीय क्षेत्रों में स्थापित पूरे कस्बों और कारखानों को सोवियत संघ के भीतर सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद की। युद्ध के बाद, रेल नेटवर्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1,45,000 कि.मी. करके इसे दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क बना दिया गया था।

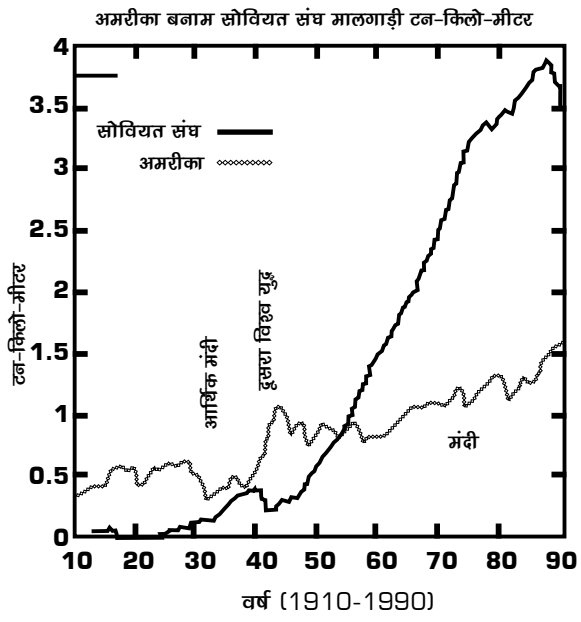

संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में सोवियत संघ में रेल परिवहन के विस्तार को प्रमुखता देने के अंतर को दिए गये ग्राफ में देखा जा सकता है।

1930 में मास्को मेट्रो का निर्माण सोवियत संघ में रेलवे की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। मेट्रो स्टेशनों की परिकल्पना शानदार "लोगों के लिए महल" के रूप में की गयी थी। वे समाजवादी राज्य में जीवन का चित्रण और समाजवादी राज्य के निर्माण में मज़दूरों और किसानों के योगदान का शुक्रिया अदा करते हैं। 1930 और 1940 के दशक में बने मास्को मेट्रो स्टेशनों की भव्यता, वास्तुकला और सुंदरता दुनिया के किसी अन्य देश ने हासिल नहीं की है।

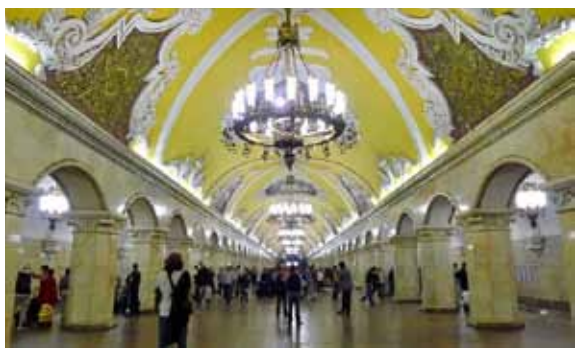

मास्को मेट्रो स्टेशनों की भव्यता, वास्तुकला और सुंदरता का एक दृष्य

ब्राजील

1993 में ब्राजील सरकार के सामान्य निजीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, राज्य के स्वामित्व वाली रेल लाइनों का पुनर्गठन और निजीकरण शुरू हुआ। ब्राजील रेलवे, आर.एफ.एफ.एस.ए. को छह क्षेत्रीय रेलवे में पुनर्गठित किया गया और 1997 के अंत तक उनका निजीकरण कर दिया गया था। परिचालन–संपत्ति को 30 वर्षों के पट्टे पर दे दिया गया था जबकि आर.एफ.एफ.एस.ए. ने बुनियादी ढांचे का स्वामित्व अपने पास बरकरार रखा लेकिन निजी कंपनियों पर सेवाओं को चलाने और बुनियादी ढांचे के रखरखाव तथा नवीनीकरण की ज़िम्मेदारी थी।

1995 से 1999 तक यात्री–किलोमीटर आधे से अधिक घट गए।

यात्री सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई। निजीकरण के बाद के वर्ष में इससे पहले के छह वर्षों के सबसे ख़राब वर्ष की तुलना में, एक लाइन पर दुर्घटना दर में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी लाइन पर दुर्घटना दर में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निजीकरण के तीन साल के बाद भी, सरकार दुर्घटनाओं में कमी लाने के निजीकरण के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही।

निजीकरण ने श्रमिकों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तीन वर्षों के भीतर ही श्रमिकों की संख्या लगभग आधी हो गई।

निजीकरण के बाद कोई महत्वपूर्ण नयी रेलवे लाइन नहीं बनायी गयी। निवेश के लिए अधिकांश पूंजी राज्य के स्वामित्व वाले निवेश बैंक के माध्यम से जुटाई गई थी। निजी आपरेटरों ने एक नई लाइन बनाने के लिए निवेश करने के अपने अनुबंध का सम्मान करने से इंकार कर दिया।

अर्जेंटीना की तरह ब्राजील में भी निजी कंपनियों ने कुछ ही वर्षों के भीतर अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा था।

जैसा कि कई अन्य देशों में पाया गया, ब्राजील में भी निजी रेल कंपनियों ने सरकार से कहा है कि कोविड महामारी के परिणामस्वरूप यात्रियों की संख्या में आई गिरावट के कारण हुए नुकसान का पुनर्भुगतान करें।

ब्राजील में रेलवे के निजीकरण से भी वही जन–विरोधी परिणाम सामने आए – घाटे में चल रहे मार्गों को बंद करना, सुरक्षा की उपेक्षा करना और बड़ी संख्या में नौकरियों को समाप्त करना, किसी भी नये निवेश से मुंह मोड़ना और जब भी पूंजीपतियों को नुकसान हुआ, उसका वहन करने के लिए राज्य को कहा गया।

मैक्सिको

मैक्सिको में भी रेलवे को तीन क्षेत्रीय कंपनियों, राजधानी की सेवा करने वाली चौथी कंपनी और कुछ छोटे रेल मार्गों में विभाजित किया गया था। तीन क्षेत्रीय कंपनियों में से प्रत्येक मुख्य रूप से माल ढुलाई करती थी और इन सभी का 1998 तक 50 वर्ष के पट्टों पर निजीकरण कर दिया गया था। उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार समझौते (एन.एफ.टी.ए.) पर हस्ताक्षर होना मैक्सिको में रेलवे के निजीकरण की प्रमुख प्रेरक शक्ति था जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा पार माल यातायात (संयुक्त राज्य अमेरिका में) कम लागत पर पहुंचाना था।

निजीकरण के बाद यात्री और माल–ढोने वाली लाभहीन सेवाओं को बंद कर दिया गया। सभी "पूर्ण से कम वैगन–लोड" वाली माल ढुलाई सेवाओं और अपर्याप्त यात्री तादाद वाले मार्गों को समाप्त कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले साल में ही यात्रियों की संख्या में 80 फीसदी की गिरावट आ गयी। निजी कंपनियों की प्राथमिकता थी लाभप्रद बड़े औद्योगिक ग्राहकों को परिवहन सेवाएं प्रदान करना।

रेलवे का निजीकरण स्पष्ट रूप से अमरीका और मैक्सिको के पूंजीपतियों की ज़रूरतों से प्रभावित था, जो नए बनाए गए मुक्त व्यापार क्षेत्र से अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहते थे।

मलेशिया में पुनः राष्ट्रीयकरण

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, पहली लाइट रेल ट्रांजिट (एल.टी.आर.) लाइन, स्टार एल.आर.टी. को एक निजी कंपनी द्वारा बनाया गया था और 1998 में चालू किया गया था। दूसरा एल.टी.आर. बनाने और संचालित करने का अनुबंध भी उसी समय एक दूसरी निजी कंपनी, पुत्रा को दिया गया था। 1997–98 में जब मलेशिया पर वित्तीय संकट आया तो दोनों निजी कंपनियों ने कर्ज़ चुकाना बंद कर दिया और निर्माण कार्य बंद कर दिया। दोनों कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और इस तरह सरकार को दोनों कंपनियों को अपने हाथ में लेना पड़ा।

मलेशिया के अनुभव ने एक बार फिर दिखाया है कि पूंजीपति रेलवे तभी तक चलाते हैं जब तक उन्हें मुनाफ़ा होता है। जब वे नुकसान का सामना करते हैं तो वे अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना बंद कर देते हैं और राज्य को रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मजबूर करते हैं।

स्विट्ज़रलैंड

स्विस रेलवे एस.बी.बी. को 1999 में सरकार के स्वामित्व वाले निगम में तब्दील कर दिया गया और हर वर्ष इसे राज्य से वित्त पोषण प्राप्त होता है। 2018 में इसे 3.5 बिलियन स्विस–फ्रांक सार्वजनिक धन से प्राप्त हुआ, अन्यथा यह नुकसान में चली जाती।

सरकार ने महामारी के कारण हुए नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए 80 करोड़ स्विस–फ्रांक की अतिरिक्त सहायता देने का वादा भी किया।

पाठक वार्षिक ग्राहकी शुल्क सीधे हमारे बैंक खाते में भेजें

मज़दूर एकता लहर के पाठक अपना वार्षिक ग्राहकी शुल्क सीधे हमारे बैंक खाते में जमा करके हमें इसकी सूचना नीचे दिये फोन या ईमेल पर अवश्य दें।
प्रति : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
नई दिल्ली कालका जी, **खाता संख्या** :– 20066800626
ब्रांच कोड :– 00974 न्यू दिल्ली कालका जी
आई.एफ.एस. कोड (IFSCode) :– MAHB0000974
फोन : 9810187911, 9868811998, email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का
हिन्दी पाक्षिक अखबार (मज़दूर एकता लहर)
वार्षिक शुल्क 150 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये :
संपादक (मज़दूर एकता लहर) ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020
WhatsApp नं. 09868811998
मज़दूर एकता लहर को मनीआर्डर से पैसा भेजने वाले सभी पाठकों से अनुरोध है कि पैसा भेजने के बाद हमें, इस नम्बर पर 09868811998, 09810167911 फोन करके सूचित करें तथा एस.एम.एस. करें।
ई-मनीआर्डर भेजते समय फार्म में अपना पता पूरा और साफ-साफ भरें।

बेरोज़गारी – पूंजीवाद का हमसफर

27 जून को मज़दूर एकता कमेटी ने "बेरोज़गारी – पूंजीवाद का हमसफर", इस विषय पर एक ऑन–लाइन सभा आयोजित की। मज़दूरों, महिलाओं, नौजवानों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसमें उत्साह के साथ भाग लिया। बेरोज़गारी की ज्वलंत समस्या – जो कोरोना महामारी और लॉक डाउन के चलते भयानक रूप धारण करने लगी है – से चिंतित, सभी भागीदारों ने मज़दूर एकता कमेटी की प्रस्तुति को ध्यान से सुना और इस विषय पर अपने विचार भी रखे।

मज़दूर एकता कमेटी की तरफ से प्रस्तुत करते हुए, बिरजू नायक ने समझाया कि बेरोज़गारी किसी खास सरकार या राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था का आर्थिक नियम ही बेरोज़गारी की समस्या का स्रोत है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर, और अनेक उदाहरणों के साथ उन्होंने समझाया कि निजी पूंजीवादी मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लक्ष्य पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था जितनी विकसित होती है, बेरोज़गारी उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ती जाती है। बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के लिए, उन्होंने समझाया कि पूंजीवादी व्यवस्था – जिसका मक़सद मुट्ठीभर पूंजीवादी इजारेदार घरानों के अधिक से अधिक मुनाफ़ों को सुनिश्चित करना है – की जगह पर हमें मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित करना होगा, जिसका मक़सद होगा समाज की बहुसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करना और सबको रोज़ी–रोटी व सुख–सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रस्तुति के बाद, अनेक भागीदारों ने अपनी बातें रखीं।

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान घर से काम करने को मजबूर हजारों–हजारों नौजवानों की कठिनाइयों के बारे में कई युवकों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। अनेक उदाहरणों से उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह कोरोना महामारी और लॉकडाउन की आड़ में, बड़ी संख्या में मज़दूरों की छंटनी की जा रही है, जिससे बेरोज़गारी की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे हुक्मरान "आर्थिक संवर्धन" की बातें करके हमें बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं, परन्तु उनके "आर्थिक संवर्धन" का मतलब है इजारेदार पूंजीवादी घरानों के बढ़ते मुनाफ़े, न कि मज़दूरों–किसानों–मेहनतकशों की रोज़ी–रोटी की सुरक्षा और उन्नत जीवन स्तर। मीडिया के ज़रिये फैलाये जा रहे झूठे प्रचार, बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर नौजवानों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के हुक्मरानों के दुष्ट इरादे, कृषि का विनाश और गांवों से शहरों की तरफ मज़दूरों का आप्रवासन, बेरोज़गारों की "आरक्षित" फ़ौज के होते हुए पूंजीपति कैसे सभी मज़दूरों के शोषण को खूब बढ़ाते हैं – इन सारे मुद्दों पर सभा में भाग लेने वालों ने बड़ी भावुकता और गंभीरता के साथ अपनी बातें रखीं। एक नौजवान शिक्षक ने बेरोज़गारी की समस्या पर अपनी स्वरचित कविता पेश की, जिसमें सभी की भावनाओं की झलक थी।

अंत में, बिरजू नायक ने सभी को, सभा में भाग लेने और अपने विचारों और सुझावों को रखने के लिए, आभार प्रकट किया। पूंजीवादी व्यवस्था की जगह पर सबको सुख–सुरक्षा और रोज़ी–रोटी सुनिश्चित करने वाली नयी व्यवस्था के लिए अपने संघर्षों को तेज़ करने के संकल्प के साथ, सभा का समापन किया गया।

मज़दूर एकता कमेटी की प्रस्तुति के मुख्य अंश को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं :
http://hindi.cgpi.org/21047

प्रस्तुति के मुख्य अंश :

शहर में जब आप घर से सुबह किसी काम से या रोज़गार पर जा रहे होते हैं तो लेबर चौकों पर भर–भरकर मज़दूरों के झुंड देखने को मिलते हैं। पेंटर, प्लंबर, कारपेंटर, राज मिस्त्री आदि अपने औज़ारों के साथ, अपना श्रम बेचने के लिए तैयार खड़े रहते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा जैसी सरकारी योजना में अपना नाम दर्ज़ कराने के लिए, लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। इसके बावजूद, यह ज़रूरी नहीं है कि मनरेगा में सभी को काम मिल सके।

इसी तरह उच्च तकनीक के प्रशिक्षण से लैस, अच्छे–खासे पढ़े–लिखे नौजवान इंटरनेट पर जीवन की पहली नौकरी की तलाश करते हैं। इंटरनेट पर रोज़गार प्राप्त करने के लिए डिजीटल प्लेटफार्मों – इनडीड,

इलाहाबाद रोज़गार कार्यालय के बाहर अभ्यार्थियों की लंबी कतार (फाइल फोटो)

मोंस्टर, ग्लासडोर, लिंकेडइन, नौकरी डाट कॉम आदि पर बायोडाटा का अंबार लगा है। इंटरनोट पर बायोडाटा भेजने वालों में बड़ी संख्या उनकी है, जो रोज़गार खो चुके है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई.) के अनुसार, बीते मई महीने के दौरान करीब डेढ़ करोड़ नौकरियां एक ही झटके से चली गईं। अप्रैल–मई के केवल दो महीनों में ही नौकरी खोने वालों की कुल संख्या 2 करोड़ 23 लाख है।

इन नौकरी खोने वालों में सबसे बड़ी संख्या दिहाड़ी मज़दूरों की है। यह संख्या 1 करोड़ 72 लाख है। इन्हीं दो महीनों के दौरान, 57 लाख व्यवसायियों ने अपने रोज़गार खो दिये हैं। 32 लाख वेतनभोगी मज़दूरों ने अपनी नौकरी खो दी है।

बेरोज़गारी की दर, इसी साल के अप्रैल में 8 प्रतिशत थी, जो मई में बढ़कर 11.9 प्रतिशत हो गई है। 23 मई को यानी महीने के अंतिम सप्ताह में, साप्ताहिक बेरोज़गारी की दर 14.7 प्रतिशत हो गई थी।

सी.एम.आई.ई. के अनुसार, सबसे ज्यादा नौकरियां उनकी गई हैं, जिनकी उम्र 40 वर्ष या उससे ऊपर थी। खासकर जो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे।

ये आंकड़े बेरोज़गारी की भयानकता को दिखाते हैं।

बेरोज़गारी सिर्फ बेरोज़गार व्यक्ति के लिए ही एक समस्या नहीं है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव उसके ऊपर निर्भर परिवार के प्रत्येक सदस्य पर भी पड़ता है। यानी बेरोज़गारी से प्रभावित लोगों की संख्या, बेरोज़गारों की संख्या से चार–पांच गुना अधिक होती है।

कोविड–19 की महामारी के संकट में, मार्च 2020 में लगे पहले लॉकडाउन के दौरान, राज्य की तरफ से किसी भी राहत की गारंटी न मिलने के अपने जीवन के अनुभव के चलते, इस साल फिर से लगे लॉकडाउन के दौरान लाखों–लाखों मज़दूर रातों–रात गांवों को चले गए। पिछले साल अचानक घोषित किये गये लॉकडाउन में, गांव जाने वाले मज़दूर अभी शहरों में लौटे ही रहे थे, कि उन्हें दूसरे लॉकडाउन में फिर से गांव जाना पड़ा। यह सिलसिला जारी है।

यानी बेरोज़गारी के आंकड़ों का आधार कुछ भी हो सकता है, परन्तु पूरी हक़ीक़त कभी सामने नहीं आती है।

बेरोज़गारी का इस पार्टी या उस पार्टी की सरकार की नीति से कुछ खास संबंध नहीं है। हमारे देश का राज्य पूंजीवादी है। पूंजीवादी व्यवस्था के नियम ही करोड़ों–करोड़ों मज़दूरों को बेरोज़गार, बेकार या निकम्मा बनाकर रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में, 1 मार्च, 2018 तक करीब 6.83 लाख पद खाली थे। यह जानकारी, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले साल 5 फरवरी, 2020 को लोकसभा में दी थी। उन्होंने, अपने उत्तर में कहा कि कुल 38 लाख 2 हजार 779 स्वीकृत पदों में से, केवल 31 लाख 18 हजार 956 पदों पर ही कर्मचारी नियुक्त हैं।

सबसे ज्यादा रोज़गार देने वाली भारतीय रेल में, एक मार्च 2018 तक करीब 2.5 लाख पद खाली पड़े थे। यह संख्या साल–दर–साल बढ़ रही है। चूंकि राज्य की नीति उदारीकरण और निजीकरण के रास्ते भूमंडलीकरण के लिये है और भारतीय रेल को प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंपने की तैयारी है। अतः भारतीय रेल में स्वीकृत पदों को न भरने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी नीत संप्रग सरकार से लेकर वर्तमान की भाजपा सरकार तक जारी है।

पूंजीवादी व्यवस्था में बेरोज़गारी क्यों बढ़ती है?

पूंजीवाद अपने विकास के साथ–साथ, बेरोज़गारों की फ़ौज को तैयार करता है। बेरोज़गारों की इस फ़ौज को कार्ल मार्क्स 'औद्योगिक रिज़र्व फ़ौज' का नाम देते हैं। बेरोज़गारों की यह फ़ौज, रोज़गार पर लगे मज़दूरों के अलावा होती है। इसमें बेरोज़गार और आंशिक बेरोज़गार, दोनों तरह के बेरोज़गार मज़दूर शामिल होते हैं।

'औद्योगिक रिज़र्व फौज' में तीन श्रेणी के बेरोज़गार मज़दूर शामिल होते हैं – पहली श्रेणी में 'अस्थायी' बेरोज़गार, दूसरी श्रेणी में 'छिपा' बेरोज़गार और और तीसरी श्रेणी में 'ठहरा' बेरोज़गार।

'अस्थायी' बेरोज़गार की श्रेणी में वे मज़दूर आते हैं, जिनके पास रोज़गार तो है, लेकिन वह नियमित नहीं है। उदाहरण के लिए गारमेंट उद्योग, जहां मज़दूरों को मौसम के अनुसार रोज़गार मिलता है। इसके अलावा, कॉल सेंटर, कोरियर सेवा और डिलीवरी सेवा, आदि में नौजवानों को रोज़गार मिलता है। एक उम्र के बाद इन्हें रोज़गार से हटा दिया जाता है। ऐसे रोज़गार में लगे नौजवानों का पूंजीवादी व्यवस्था अतिशोषण करती है। दूसरा कि, जैसे–जैसे तकनीकी में विकास होता है, वैसे–वैसे इनके हुनर और अनुभव बेकार होते जाते हैं।

दूसरी श्रेणी के बेरोज़गारों की आबादी छुपी रहती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों–करोड़ों लोग शामिल हैं, जो कृषि में पूंजीवादी संबंधों के विकास के चलते बर्बाद हो रहे हैं। लोगों का गांव से शहरों में लगातार आना इस हक़ीक़त को दर्शाता है। कई लोग जो गांव में ही रह जाते हैं और किसी तरह से बेहद ग़रीबी में गुजर–बसर करते हैं। ये लोग किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र में रोज़गार के मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारे देश में इनकी तादाद बहुत बड़ी है। यह आबादी गांव के आसपास के क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों में, न्यूनतम वेतन से भी कम पर और सामाजिक सुरक्षा के बिना 12 घंटे का काम – चौकीदारी, हेल्परी या निर्माण कार्य, आदि में काम करने के लिए मज़बूर होती है।

तीसरी श्रेणी की बेरोज़गारी में 'ठहरा' हुआ तबका आता है। इस तबके के पास काम तो होता है, लेकिन बहुत ही अनियमित होता है। श्रमशक्ति का यह रूप, पूंजी के लिए कभी न ख़त्म होने वाला अक्षय स्रोत होता है। अधिक उम्र के चलते, जो मज़दूर अपना रोज़गार खो चुके हैं, ग्रामीण इलाकों से आये अप्रवासी मज़दूर और बर्बाद हो चुके कारीगर, इस ठहरे हुये तबके में शामिल हैं। इन मज़दूरों का जीवन स्तर मज़दूर वर्ग के आम स्तर से भी नीचे गिर चुका होता है। ज्यादा समय का काम और न्यूनतम से कम वेतन, इन मज़दूरों की मजबूरी होती है। ये मज़दूर, पूंजीवादी शोषण की विशेष शाखा का आधार बन जाते हैं, जैसे कि हमारे देश का निर्माण उद्योग।

कार्ल मार्क्स ने बताया था कि औद्योगिक रिज़र्व फ़ौज के सबसे निचले स्तर पर, वे लोग होते हैं जो पूरी तरह से कंगाल होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री और खदानों में घायल मज़दूर, अनाथ बच्चे, विधवाएं और बुजुर्ग मज़दूर और वे लोग जिन्हें समाज से दूर गलियों में मरने के लिए छोड़ दिया गया है।

पूंजीपति श्रम से बेशी मूल्य के रूप में, ज्यादा मुनाफ़े बनाने के लिए और अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, मज़दूरों को काम पर रखते हैं। पूंजी के जमा होने की प्रक्रिया के साथ ही, पूंजी का संकेन्द्रण बहुत बढ़ता रहता है और समय–समय पर अत्याधिक उत्पादन का संकट पैदा हो जाता है। पूंजीवाद फैलाव और सिकुड़न के चक्र से गुजरता है। फैलाव के दौर में, मज़दूरों की मांग बढ़ जाती है। जबकि सिकुड़न के दौर में मज़दूरों की मांग कम हो जाती है।

पूंजीवादी विकास के साथ–साथ, तकनीकी विकास भी होता रहता है। तकनीकी विकास के चलते, श्रम की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती रहती है। उदाहरण के लिए, एक मज़दूर, जिस हजार साबुन को बनाने के लिए 2 घंटा लेता था, अब उससे कम समय में ही बना लेता है। कहने का अर्थ है, मज़दूर एक काम को पहले के मुक़ाबले, बहुत कम समय में कहीं अधिक मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं। यानी पूंजी में लगातार इजाफ़ा होता रहता है, लेकिन रोज़गार में इजाफ़ा होने की जगह कम होता जाता है।

साथ ही, उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में तकनीक में विकास से सभी पूंजीपति इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि या तो वे नयी तकनीक को स्वीकार करें या फिर पूरी तरह से नष्ट हो जायें।

शेष पृष्ठ 12 पर

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2018-20
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Jul, 2021 Date of publish - 1 Jul, 2021

To
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020। email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
09868811998

आयुध निर्माण कंपनियों के निगमीकरण के ख़िलाफ़ मज़दूरों के संघर्ष का समर्थन करें!

16 जून, 2021 को केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को भंग करने और इसे 7 निगमों में बदलने के निर्णय की घोषणा की। ओ.एफ.बी. आयुध कारखानों और संबंधित संस्थानों का एक छत्र निकाय है। यह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ संस्थान है और यह 41 कारखानों, नौ प्रशिक्षण संस्थानों, तीन क्षेत्रीय विपणन केंद्रों और सुरक्षा के पांच क्षेत्रीय नियंत्रकों का एक समूह है।

17 जून के तुरंत बाद रक्षा असैनिक कर्मचारियों के सभी वर्गों ने आयुध कारखानों के नियोजित निगमीकरण के ख़िलाफ़ अपना विरोध शुरू कर दिया।

20 जून, 2021 को देशभर में 41 आयुध कारखानों के मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन संघों – अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (ए.आई.डी.ई.एफ.), भारतीय राष्ट्रीय रक्षा श्रमिक संघ (आई.एन.डी.डब्ल्यू.एफ.) और भारतीय प्रतिरोध मज़दूर संघ (बी.पी.एम.एस.) ने बैठक की और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़ोरदार विरोध करने का फ़ैसला किया। अपने संयुक्त परिपत्र में उन्होंने कहा है कि

वे 23 जून, 2021 को अपने निर्णय के बारे में सरकार को सूचित करेंगे और 19 जुलाई, 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने के लिए 1 जुलाई, 2021 को हड़ताल नोटिस जारी करेंगे।

1 जुलाई से हड़ताल शुरू करने का संयुक्त आह्वान ए.आई.डी.ई.एफ., आई.एन.डी.डब्ल्यू.एफ. और बी.पी.एम.एस. द्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है तथा देश के लोगों से इस क़दम के विरोध का समर्थन करने की अपील की गई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पहले ही रक्षा असैन्य कर्मचारियों के विरोध को अपना समर्थन दिया है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार ने 2020 और 2019 सहित रक्षा उत्पादन क्षेत्र के निजीकरण के लिए बार–बार इसी तरह के प्रयास किए हैं। हर बार आयुध कारखाने के मज़दूरों ने हड़ताल की और सरकार को अपना क़दम वापस लेने के लिए मजबूर किया। मज़दूरों के एकजुट संघर्ष ने अतीत में छह अलग–अलग रक्षा मंत्रियों को ओ.एफ.बी. का निगमीकरण नहीं करने के लिए लिखित वचन देने के लिए मजबूर किया था। आयुध कारखाने के मज़दूरों की एकता और निगमीकरण का उनका विरोध निजीकरण के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के मज़दूरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 2020 में एक हड़ताल मतपत्र में, 99 प्रतिशत से अधिक रक्षा असैन्य कर्मचारियों ने रक्षा निर्माण क्षेत्र के निजीकरण के प्रयास को विफल करने के लिए निरंतर हड़ताल के लिए मतदान किया था। वे जानते हैं कि ओ.एफ.बी. का विघटन और उसका निगमीकरण निजीकरण की दिशा में पहला क़दम है। http://hindi.cgpi.org/21040

बेरोज़गारी पूंजीवाद का हमसफर

पृष्ठ 11 का शेष

उदाहरण के लिए – रील (नेगेटिव) वाले कैमरे की जगह पर डिजीटल कैमरा का आना, संदेश भेजने हेतु फैक्स, तार या पत्र की जगह ईमेल का इस्तेमाल आदि ने लाखों की संख्या में रोज़गार को ख़त्म कर दिया है। डिजिटल अख़बार और किताब ने प्रिंटिंग का काम करने वाले मज़दूरों को पूरी तरह ख़त्म न भी कर सके, लेकिन इस क्षेत्र में लगे लाखों रोज़गारों को प्रभावित किया है। उसी तरह से, 1980 के दशक में कपड़ा मिलों के मज़दूरों को ऐसे ही अनुभव का सामना करना पड़ा। भविष्य में संभव है कि बिना ड्राइवर के ही कार चले, जो ड्राइवरों की ज़रूरत को ख़त्म या कम कर दे।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज की प्रगति के लिए विज्ञान और तकनीकी का विकास ज़रूरी है। तकनीकी का इस्तेमाल पूरे समाज की भलाई में करने की बजाय, पूंजीपति वर्ग अपने निजी मुनाफ़ों को बढ़ाने के लिये करते हैं। इसके चलते समाज और उत्पादन के क्षेत्र में अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। इसका शिकार मज़दूर होता है। होना यह चाहिए कि उत्पादन प्रक्रिया में नए तकनीकी के इस्तेमाल के लिए, उत्पादन प्रक्रिया में शामिल मज़दूरों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। रोज़गार खोने वाले मज़दूरों को अन्य क्षेत्र के लिए तैयार करना चाहिए।

पूंजीवाद जितना विकसित होता है, बेरोज़गार औद्योगिक आरक्षित सेना की संख्या उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ती जाती है।

पूंजीवादी अर्थशास्त्री, पूंजीपतियों के संगठन और पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां यह झूठा प्रचार करते हैं, कि पूंजीवाद के विकास से अधिक रोज़गार पैदा होता है। वे इस बात को छुपाते हैं कि पूंजीवाद के इसी विकास के साथ, बेरोज़गारों की आरक्षित फ़ौज का विस्तार होता जाता है।

आज जब पूंजीवाद अपनी चरम अवस्था पर है और साम्राज्यवाद की अवस्था में पहुंच चुका है। वह पूरी तरह से परजीवी बन गया है। ऐसी हालत में किसी भी उद्योग या सेवा के किसी भी क्षेत्र का विनाश एक ही झटके में हो जाता है। इसका एक उदाहरण है – ई–कॉमर्स कंपनियों ने पुराने खुदरा व्यापार को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। बढ़ती संख्या में छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों का धंधा बंद होता जा रहा है। बड़ी–बड़ी और विशाल इजारेदार कंपनियों के विकास के साथ, जितना रोज़गार पैदा हुआ है, वह बर्बाद की गई पुरानी नौकरियों से बहुत कम है।

मार्क्स के शब्दों में "मज़दूरों के एक हिस्से से अत्यधिक काम करवा कर दूसरे हिस्से को जबरदस्ती बेकार बनाये रखना, और एक हिस्से को जबरदस्ती खाली हाथ बैठाकर, दूसरे हिस्से से अत्यधिक काम लेना – यह अलग–अलग पूंजीपतियों का धन बढ़ाने का साधन बन जाता है"।

- लाखों मज़दूर जो कि बेरोज़गार हैं, उनका इस्तेमाल, काम में लगे मज़दूरों का और अधिक शोषण करने के लिए किया जा रहा है। काम में लगे इन मज़दूरों को अधिक लंबे घंटों के लिए काम करने को बाध्य किया जा रहा है।
- इस बेरोज़गार रिज़र्व फ़ौज का इस्तेमाल, काम में लगे मज़दूरों के वेतनों को कम करने के लिए किया जा रहा है, जिनको अपना रोज़गार खो जाने का डर लगा रहता है।
- इस बेरोज़गार रिज़र्व फ़ौज का इस्तेमाल, मज़दूरों द्वारा बरसों के संघर्ष से हासिल किये गए संगठित होने के अधिकार, 8–घंटा काम के अधिकार और सुरक्षित रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा पाने के अधिकार को कुचलने या सीमित करने के लिए किया जा रहा है। जैसे हुक्मरान वर्ग लोगों और खास तौर से, नौजवानों के बीच बंटवारे को और बढ़ा रहा है। उनको सरकारी नौकरियों में जाति पर आधारित आरक्षण के आधार पर, आपस में लड़वाता है। इससे यह साबित होता है कि पूंजीवाद सभी को सुख और सुरक्षा प्रदान करने के क़ाबिल नहीं है।

हमारा मानना है कि, समस्या के जनक को ख़त्म किए बिना, इसका समाधान संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी व्यवस्था का ख़ात्मा किये बिना, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो सकती।

पूंजीवादी व्यवस्था और इसकी आर्थिक गतिविधि के केन्द्र में 'मुनाफ़ा' की जगह पर मज़दूर–किसान का राज और इसकी आर्थिक गतिविधि के केन्द्र में 'समाज की ज़रूरत' को स्थापित करना होगा। ऐसा करके ही, समाज की ज़रूरतों, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास आदि की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करोड़ों–करोड़ों लोगों की बेरोज़गारी का उन्मूलन संभव हो सकेगा।

अभी श्रम, पूंजीपति वर्ग के 'मुनाफ़े' का स्रोत बना हुआ है। वही श्रम, मज़दूर किसान के राज में पूरे समाज की खुशहाली का कारक बनेगा।

ऐसा चाहने के लिए, मज़दूर वर्ग को मजदूर–किसान का राज स्थापित करने की दिशा में संघर्ष में आगे आना होगा। ऐसा करने में ही मज़दूरों और किसानों की भलाई है। मज़दूरों और किसानों के गठबंधन के राज में ही बेरोज़गारी से मुक्ति संभव है।
http://hindi.cgpi.org/21045

पाठकों को सूचना

प्रिय पाठकों,

18 अप्रैल, 2021 को लॉकडाउन लागू होने के बाद डाक सेवाओं के स्थगित किये जाने के कारण, डाक में मैगजीन भेजने वाले विभाग को बंद कर दिया गया था। इसलिये हमने मज़दूर एकता लहर के मई 1–15 के अंक को डाक विभाग की सेवाएं शुरू होने के बाद जून में भेजा। लॉकडाउन के दौरान, हमें मज़दूर एकता लहर के प्रकाशित अंकों को डाक में भेजने के काम को स्थगित करना पड़ा था, हालांकि हमारी वेब साइट पर मज़दूर एकता लहर के लेख आते रहे। इसलिये मई 16–31 के अंक समेत तीन अंक – 10, 11 और 12 – प्रकाशित नहीं हुए। इसके लिए हमें खेद है। अब डाक विभाग ने अख़बारों को भेजने वाली सेवा फिर से प्रारंभ कर दी है।

हम अख़बार के अंक–13, जुलाई 1–15, 2021 को प्रकाशित रूप में आपको भेज रहे हैं।

इस दौरान प्रकाशित लेखों को हमारी वेबसाइट www.hindi.cgpi.org पर पढ़ सकते हैं।

दोस्ताना अभिवादन,
संपादक, मज़दूर एकता लहर